

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना पर  
निष्पादन लेखापरीक्षा


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन  
मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार  
(अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)  
2011-12 की सं. 22

20 जून 2019 को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखा गया

### विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	प्रस्तावना	(iii)
	कार्यकारी सार	1
अध्याय 1	प्रस्तावना	3
अध्याय 2	प्रार्थना पत्रों का सत्यापन	6
अध्याय 3	निर्यात बाध्यता का नियतन	11
अध्याय 4	अपात्र आवेदकों और चूककर्ताओं को लाइसेंस जारी किए गए	16
अध्याय 5	पूँजीगत मालों का आयात और प्रतिष्ठापन और निर्यात बाध्यता पूर्ति पर प्रगति रिपोर्ट	22
अध्याय 6	ईपीसीजी प्राधिकारों का मोचन	30




## प्राक्कथन

मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ-अप्रत्यक्ष कर की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में शामिल निष्कर्ष वर्ष 2010-11 के दौरान "निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की टिप्पणियों से लिए गए हैं।

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के सिफारिशों सहित परिणाम इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।



## कार्यकारी सार

हमने "निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना" (ईपीसीजी) की निष्पादन लेखापरीक्षा विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों, सीमाशुल्क अधिनियम तथा सम्बद्ध निर्देश की पर्याप्तता का मूल्यांकन तथा योजना के अन्तर्गत प्राधिकार जारी होने में, प्राधिकार के जारी होने के बाद उसकी निगरानी तथा निर्यात बाध्यता (ईओ) की अवधियां पूरी होने के पश्चात प्राधिकरण के मोचन के आकलन के लिए की। उद्देश्य यह देखना था कि योजना प्रभावी तथा पर्याप्त रूप से लागू की जा रही थी तथा अनुचित लाभ उठाने के लिए कोई कमियां नहीं थीं।

महानिदेशक विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) ने वर्ष 2000 तथा 2008 के बीच 89000 लाइसेंस जारी किए थे जिसमें से 63 प्रतिशत मुंबई, दिल्ली, कोयम्बटूर, चैन्नई तथा बेंगलूरु से जारी किए गए थे।

2005-06 से 2009-10 तक इस योजना का कुल परितरुक्त राजस्व ₹ 38,188 करोड़ था।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित राजस्व पर प्रभाव ₹ 3,154.87 करोड़ है।

हमारे मुख्य निष्कर्ष हैं :

- ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत, जारी लाइसेंसों को अनेक जाँचों के माध्यम से आठ वर्ष की अवधि तक निगरानी करना पड़ता है। हमने पाया कि प्राधिकार निर्धारित दस्तावेजों के पूरे सेट के बिना ही जारी कर दिए गए थे तथा डीजीएफटी के निर्देशों का उल्लंघन कर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (आरएलए) द्वारा घोषणाओं के बाद का सत्यापन आमतौर पर नहीं किया जा रहा था। हमने सिफारिश की कि डीजीएफटी को निर्धारित जाँच करने तथा इस नियंत्रण तन्त्र को लागू करने की निगरानी के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.1)

- हमने पाया कि मुंबई को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर पश्च जारी आडिट विंग (पीआईएडब्ल्यू) अधिकतर स्थानों पर प्रचलन में नहीं थे। डीजीएफटी को सुनिश्चित करना चाहिए कि बेहतर आन्तरिक नियंत्रण हेतु निर्धारित समय सीमा के अन्दर आरएलए में पीआईएडब्ल्यू काम करना शुरू कर दें।

(पैराग्राफ 2.2)

- हमने औसत निर्यात बाध्यता के गलत निर्धारण के मामले देखे। हमने सिफारिश की कि डीजीएफटी को मामले की जाँच करनी चाहिए, औसत ईओ की

संगणना के सही तरीके को फिर से दोहराना चाहिए तथा गलत निर्धारण के मामलों में उपचारी कार्रवाही करनी चाहिए।

(पैराग्राफ 3.1)

- हमने संगणना में गलतियों के कारण गलत विशिष्ट निर्यात बाध्यता निर्धारण के कई मामले देखे। हमने सिफारिश की कि पश्च जारी आडिट विंग द्वारा नमूना जाँचों में ईओ की संगणना भी शामिल की जानी चाहिए।

(पैराग्राफ 3.2)

- हमने पाया कि अस्वीकृति आदेशों के प्रति बिना प्राधिकार के आरएलए द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिए गए थे। हमने सिफारिश की कि डीजीएफटी स्थगन जारी करना रोकने के लिए निर्देश जारी करे तथा जाँच करे कि आरएलएज ने कैसे स्वयं को स्थगन आदेशों को जारी करने की स्वतन्त्रता दे दी।

(पैराग्राफ 4.2)

- हमने पाया कि न तो आरएलएज ने आयातित पूंजीगत माल के प्रतिष्ठापन सत्यापित के मिलने की कोई प्रणाली स्थापित की और न ही सीमाशुल्क विभाग ने अधिकांश स्थानों पर पते की जाँच करने की कोशिश की। हमने सिफारिश की कि क्योंकि घोषित स्थापन पर आयातित पूंजीगत माल की प्रतिष्ठापना की गई थी तथा प्रचालन में लगा दी गई थी किसी भी समय इसकी जाँच करने के लिए लाइसेंस के परिसर की प्रमाणिकता आवश्यक जाँच बिन्दु है, इसलिए बोर्ड को क्रेडिट कार्ड कम्पनियों/बैंक इत्यादि द्वारा अपनाए गए लाइसेंस का पता लिखे उपयोगिता बिलों की प्रतियां समय-समय पर मंगवाने जैसे वैकल्पिक तरीके अपनाने के विषय पर गौर करना चाहिए।

(पैराग्राफ 5.2)

- हमने पाया कि लाइसेंस के मोचन के स्तर पर निगरानी की कमी थी। आरएलएज मोचन प्रार्थना पत्र की प्राप्ति की देय तिथियों अर्थात लाइसेंस जारी करने के आठ वर्ष पूरे होने के बाद उसकी प्राप्ति पर नजर नहीं रख रहे थे। हमने यह भी देखा कि मोचन के लिए दिए गये प्रार्थना पत्रों को निपटाने में काफी विलम्ब हो रहा था। हमने सिफारिश की कि देय तिथियों पर मोचन के प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति की निगरानी तथा उसके पश्चात् निर्यात बाध्यता निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी होने तक, यह प्रक्रिया स्वचालित की जानी चाहिए।

(पैराग्राफ 6.1)



## अध्याय 1 प्रस्तावना

### 1.1 ईपीसीजी योजना: पृष्ठभूमि

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना वर्तमान में जारी निर्यात संवर्धन योजनाओं की प्रारम्भिक योजनाओं में से एक है। इसे 1 अप्रैल 1992 को शुरू किया गया था। योजना आयातकों को सीमाशुल्क की सस्ती दरों पर पूंजीगत माल आयात करने का लाइसेंस प्रदान करती है। लाइसेंस धारकों को एक निर्यात बाध्यता (ईओ) भरना पड़ता है। जिसका आशय यह है कि लाइसेंस जारी होने की तिथि से निर्धारित वर्षों की संख्या के अन्दर, उन्हें योजना के अन्तर्गत आयात किए जा रहे माल से संबंधित वस्तुओं की निर्धारित मात्रा का निर्यात करना होगा।

समयानुसार जैसे-जैसे आयातों की सामान्य शुल्क दरें घटती गईं, रियायती दरों को भी संशोधित कर घटाना पड़ा। 2004 में नये लाइसेंस धारकों के लिए निर्यात बाध्यता बहुत कम कर दी गई तथा ईओ की गणना का आधार भी आयातों के सीआईएफ मूल्य के बजाए, बचाए गए शुल्क की तहत कर दिया गया था।

वित्त मंत्रालय के आँकड़ों ने दर्शाया कि इस योजना के तहत 2005-06 से 2009-10 तक छोड़ा गया कुल राजस्व ₹ 38,188 करोड़ था। डीजीएफटी ने सूचना दी कि वर्ष 2000 तथा 2008 के दौरान 89,000 लाइसेंस जारी किए गए थे जिनमें से 63 प्रतिशत मुम्बई, दिल्ली, कोयम्बटूर तथा बेंगलूरु से जारी किए गए थे।

### 1.2 ईपीसीजी प्राधिकार की प्रक्रिया

योजना का प्रशासन, वाणिज्य मंत्रालय, महानिदेशक, विदेशी व्यापार के तहत क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (आरएलए) द्वारा किया जाता है। ईपीसीजी योजना का प्रशासन करने के प्रावधान विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में होते हैं। कार्यप्रणाली के विस्तृत पहलू वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के तहत महानिदेशक, विदेशी व्यापार द्वारा अधिसूचित कार्यविधि पुस्तिका (एचबीपी) में उपलब्ध हैं। प्राधिकार पाने के योग्य होने हेतु प्रार्थी के पास निर्यात बाध्यता भरते हुए अन्य बातों के साथ-साथ एक आईईसी<sup>1</sup> कोड, निर्यात की जाने वाली मर्चों तथा आयात की जाने वाली मशीनरी के बीच उत्पादन सम्बन्ध दर्शाने वाला एक अर्न्तसम्बन्ध प्रमाण पत्र होना चाहिए। लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र विदेशी व्यापार नीति की कार्यविधि पुस्तिका में यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरएलए को प्रस्तुत किया जाना होता है। आरएलए प्रार्थना पत्र में दी गई सूचना का सत्यापन करता है तथा उसे ईपीसीजी लाइसेंस नामक प्राधिकार तीन दिन में जारी करना होता है। इसके बाद प्रार्थी को प्राधिकारधारी अथवा लाइसेंसधारी कहा जाता है।

<sup>1</sup> आयातक निर्यातक कोड

क्योंकि योजना में बहुत अधिक सीमाशुल्क राजस्व की छूट शामिल है, सीमाशुल्क विभाग को निर्यात बाध्यता को भरे जाने की निगरानी करने सम्बन्धी बहुत से दायित्व निभाने होते हैं। इसके पश्चात लाइसेंसधारी को आरएलए द्वारा जारी लाइसेंस सीमाशुल्क वालों को पंजीकरण करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए तथा उसके बाद बान्ड तथा बैंक गारन्टी भरनी चाहिए। सीमाशुल्क के आधिकारिक कमीश्नर को अपने पत्तन पर पंजीकृत प्राधिकरणों में से कुछ का यादृच्छिक सत्यापन प्राधिकार में वर्णित पतों के सही होने की जाँच के लिए करना होता है। निर्यात बाध्यता पूरा होने पर, लाइसेंसप्रार्थी सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी से छूट पाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। आरएलए प्राधिकास्थारी को एक निर्यात देय मुक्त प्रमाणपत्र जारी करता है तथा उसकी एक प्रति उस सीमाशुल्क प्राधिकारी को भेजता है जिसके साथ बान्ड तथा बैंक गारन्टी किए गए हैं।

लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित निर्यात बाध्यता भरने में विफल रहने पर उसे छूट प्राप्त सीमाशुल्क का ब्याज सहित भुगतान करना होता है। आरएलए निर्धारित शर्तों को पूरा करने की विफलता के लिए प्राधिकार धारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

### 1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह जाँचने के लिए की गई कि क्या:

- क. क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी आईसीसी होल्डर द्वारा प्रार्थनापत्रों के लिए आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों एवं घोषणाओं का उचित सत्यापन करता है।
- ख. बचाए गए शुल्क तथा विगत तीन वर्षों के आयातों को ध्यान में रखते हुए निर्यात भार ठीक से निर्धारित किया गया है।
- ग. लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लाइसेंस चूककर्ताओं तथा अयोग्य प्रार्थियों को नहीं दिया गया है।
- घ. आरएलए/सीमाशुल्क विभाग यह सुनिश्चित करते हैं कि पूंजीगत माल निर्धारित सीमा अवधि में आयातित तथा स्थापित किया गया है तथा लाइसेंसधारी निर्यात बाध्यता को पूरा करने में हुई प्रगति की रिपोर्टें प्रस्तुत करता है।
- ङ. ईपीसीजी प्राधिकार का समयानुसार मोचन होता है तथा वह निर्यात बाध्यता की जाँच के बाद किया जाता है।

### 1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र व कार्यप्रणाली

निर्यात बाध्यता को पूरा करने की अनुमत अवधि आठ वर्ष है इसलिए हमने लाइसेंसों के दो सेटों की जाँच की- एक वे जो अप्रैल 2007 के बाद जारी किए गए तथा दूसरा सेट मार्च 2003 से पहले जारी किए गए, का जिनके लिए प्रतिपूर्ति मार्च 2011 तक देय होगा। हमने अधिकतम संख्या में लाइसेंस जारी करने वाले 12 जेडीजीएफटी (आरएलए)

कार्यालयों<sup>2</sup> में लेखापरीक्षा आयोजित की। वे नौ राज्यों<sup>3</sup> में स्थित थे। इन आरएलएएस ने 52,114 लाइसेंस जारी किए। हमने हाल ही में, अर्थात् अप्रैल 2007 के बाद जारी 1814 लाइसेंसों का नमूना चुना जोकि पहले चार लेखापरीक्षा उद्देश्यों की संवीक्षा का आधार था। कुछ मामलों में हमने नमूनों को पूरी तरह प्रयोग किया तथा दूसरे मामलों में पूरे नमूने के सबसेट को लेखापरीक्षा प्रणालियों की अपेक्षाओं के अनुरूप किया। लाइसेंसों की प्रतिपूर्ति वाले अन्तिम लेखापरीक्षा उद्देश्य हेतु हमने निर्यात बाध्यता की अवधि समाप्त हो चुकने के कारण प्रतिपूर्ति के लिए देय 461 लाइसेंसों का तथा अन्य 421 लाइसेंसों जिनकी पहले ही प्रतिपूर्ति हो चुकी थी का चयन किया।

हमने चयनित आरएलएज से सम्बद्ध 22 सीमाशुल्क कमिश्नरियों<sup>4</sup> को भी शामिल किया। हमने 224 लाइसेंसधारकों के परिसरों में योजना के तहत आयातित मशीनरी की स्थापना का भौतिक सत्यापन किया। लेखापरीक्षा का आयोजन दिसम्बर 2010 से मार्च 2011 तक किया।

### 1.5 आभार

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा इस लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान आवश्यक सूचना तथा अभिलेखों को उपलब्ध करने में प्रदान किए गए सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है। समीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र तथा लेखापरीक्षा क्रियाविधि पर दोनों मंत्रालयों से 8 दिसम्बर 2010 को आयोजित एन्ट्री कान्फ्रेंस में चर्चा की गई थी। दोनों मंत्रालयों को मसौदा प्रतिवेदन जुलाई 2011 में जारी किए गए थे। 7 सितम्बर 2011 को आयोजित एक्जिट कान्फ्रेंस में लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर चर्चा की गई थी। जहां-जहां मंत्रालयों से लिखित उत्तर प्राप्त हुए हैं, इस प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल कर दिए गए हैं।

<sup>2</sup> अहमदाबाद, बैंगलुरु, चैन्नई, कोयम्बतूर, दिल्ली, एर्नाकलम, हैदराबाद, कोलकाता, लुधियाना, मदुरै, मुम्बई तथा पुणे के क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों

<sup>3</sup> आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा पंजाब।

<sup>4</sup> कान्डला, आईसीडी अहमदाबाद, मुन्दरा, अहमदाबाद, एयरकार्गो, कोचीन, एयरकार्गो हैदराबाद, आईसीडी हैदराबाद, कोलकाता (सागरीय) घत्तन, कोलकाता (एयर), आईसीडी बैंगलुरु आईसीडी पटपरगंज, आईसीडी तुगलकाबाद, एनसीएच नई दिल्ली, एनसीएच मुम्बई, मुम्बई (एयर), जेएनसीएच तूतीकरण (सागरीय) तूतीकरण (सेट जोहन्स), चैन्नई (सागरीय), चैन्नई (एयर) तथा लुधियाना।

## अध्याय 2

### प्रार्थना पत्रों का सत्यापन

हमने समीक्षा की कि क्या आरएलए ये सुनिश्चित कर रहे थे कि लाइसेंस दिए जाने के लिए प्रार्थनापत्र पूरे भरे गए थे तथा प्रार्थना पत्रों में दी गए सूचनाओं के सही होने का सत्यापन किया गया था।

#### 2.1 प्रार्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना

एचबीपी<sup>5</sup> के पैरा 5.2 के अनुसार आईईसी होल्डर को ईपीसीजी प्राधिकार हेतु विशिष्ट प्रारूप (एएनएफ5ए) में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेगा। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी उत्पादनकर्ता के निर्यात उत्पाद तथा आयात हेतु प्रस्तावित पूंजीगत माल के बीच अर्न्तसम्बन्ध स्थापित करने वाला एक प्रमाणपत्र, विगत तीन वर्षों में प्रार्थी द्वारा किए गए निर्यातों का विवरण देने वाला चार्टर्ड एकाऊटैन्ट का प्रमाण पत्र तथा सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद का पंजीकरण तथा सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) शामिल होंगे।

प्रार्थी को यह घोषणा भी करनी होगी कि उसके स्वामी/हिस्सेदार/निदेशकों में से कोई भी ऐसी किसी फर्म से जुड़े नहीं हैं जो डीजीएफटी की चूककर्ता रह चुकी है तथा वह छः महीनों से अधिक लम्बित न वसूली गई विदेशी मुद्रा का विवरण देगा।

**2.1.1** हमने पाया कि आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा केरल स्थित आरएलएज ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रार्थना पत्र के सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करवा दिए गए हैं बैंक लिस्टें बना रखी हैं। अन्य राज्यों में स्थित आरएलएज के पास ऐसी बैंकलिस्टें नहीं थीं। नौ राज्यों में 52,114 प्राधिकरणों में से हमने 1814 मामलों की नमूना जाँच की तथा ऐसे 49 मामले पाए जिनमें बैंक दस्तावेजों को पाए बिना ही लाइसेंसजारी किए गए थे। बैंक अप नीचे दिया गया है:

तालिका- 1 अपूर्ण/अवैध दस्तावेजों के आधार पर जारी प्राधिकरण				
राज्य	अप्रैल 2007 से सितम्बर 2010 तक जारी प्राधिकारों की संख्या	संवीक्षकृत मामलों की संख्या	बैंक दस्तावेजों की प्राप्ति किए बिना जारी मामलों की संख्या	क्या कोई बैंक लिस्ट प्रयोग की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
महाराष्ट्र	14444	560	शून्य	हाँ
दिल्ली	8867	267	शून्य	हाँ
पश्चिम बंगाल	3510	108	1	हाँ
केरला	723	23	शून्य	हाँ
तमिलनाडु	11949	383	44	नहीं
आन्ध्र प्रदेश	3014	147	शून्य	नहीं
कर्नाटक	4054	134	4	हाँ

<sup>5</sup> कार्यविधि पुस्तिका (एचबीपी)

राज्य	अप्रैल 2007 से सितम्बर 2010 तक जारी प्राधिकारों की संख्या	संवीक्षाकृत मामलों की संख्या	वैध दस्तावेजों की प्राप्ति किए बिना जारी मामलों की संख्या	क्या कोई चैक लिस्ट प्रयोग की गई
पंजाब	4457	136	शून्य	नहीं
गुजरात	1821	56	शून्य	नहीं
<b>जोड़</b>	<b>52114</b>	<b>1814</b>	<b>49</b>	

हमने पाया कि जारी किये गये प्राधिकारों के साथ अधिकांशतः दस्तावेजों का पूरा सेट था। कर्नाटक और तमिल नाडु को छोड़कर अपवादों का अनुपात महत्वपूर्ण नहीं था।

तमिल नाडु में कोयम्बटूर, मदुरै और चेन्नई में जांचित 383 लाइसेन्सों (₹ 769.75 करोड़ के बचाये शुल्क) में से (11 प्रतिशत) ₹ 170.69 करोड़ बताये गये शुल्क (22.17 प्रतिशत) की 44 लाइसेन्सों को अवैध आरसीएमसी के साथ जारी किया गया था। इसमें 16 मामले जहां प्रस्तुत किये गये आरसीएमसी कालबाधित थी, ₹ 74.75 करोड़ के 20 लाइसेंस जहां आवेदक के निर्यात उत्पाद उल्लिखित नहीं थे, ₹ 5.55 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के सात लाइसेंस जहां आरसीएमसी अनिश्चित अवधि के लिए जारी की गई थी, शामिल थे। ₹ 71 लाख के सीआईएफ मूल्य की एक लाइसेंस में, सिन्थेटिक एण्ड रियान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई ने आरसीएमसी जारी की, जोकि उपयुक्त प्राधिकरण नहीं था। चूँकि निर्यात वस्तु "कॉटन यार्न" था अतः उपयुक्त प्राधिकरण कॉटन टैक्स्टाइलज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई थी। अपने उत्तर में आरएलए कोयम्बटूर ने बताया कि आरसीएमसी प्रार्थना पत्र की तिथि पर ही वैध होनी चाहिए, नाकि प्राधिकार जारी किये जाने के दिन। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों में लाइसेंसियों द्वारा प्रस्तुत आरसीएमसी 31 मार्च 2007 तक वैध थी, जबकि लाइसेंसों के लिए प्रार्थना पत्र 31 मार्च 2007 के बाद प्राप्त हुए थे।

- आरएलए बेंगलूरु, कर्नाटक में तीन लाइसेंस अपेक्षित सीए प्रमाणपत्र के बिना जारी कर दिए गए थे तथा एक लाइसेंस बिना बन्धन प्रमाणपत्र के जारी कर दिया गया था। इन मामलों की सीआईएफ मूल्य ₹ 63.03 करोड़ था। आरएलए बेंगलूरु ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति स्वीकार कर ली तथा बताया कि लाइसेंसों से दस्तावेज मंगवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

हमारे निष्कर्ष दर्शाते थे कि दस्तावेजों का पूरा सैट प्रस्तुत करने में अनुपालन काफी अधिक था। हमने चार आरएलए कार्यालयों में आपत्तियां उठाई थी जहां आवेदनों की संवीक्षा को मजबूत बनाने की आवश्यकता थी। अच्छी प्रथा के तौर पर सभी आरएलएज चैकलिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं जैसाकि पांच आरएलएज में किया जा रहा है, जैसा कि पहले बताया गया है।

## 2.2 आवेदक द्वारा की गई घोषणाओं का सत्यापन

जनवरी 2000 में डीजीएफटी ने अनुदेश जारी किये थे जिसके अधीन ईपीसीजी प्राधिकार (एएनएफ5ए) के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए पांच प्रतिशत लाइसेंसों की नमूना लेखापरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए सभी आरएलएज में एक पश्च जारी आडिट विंग (पीआईएडब्ल्यू) गठित करना अपेक्षित था।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक की पहचान और कार्यकलापों के लिए तीसरी पार्टी द्वारा प्रमाणीकरण होते हैं और प्राधिकार जारी करने से पहले एक निहित जाँच का काम करते हैं। अतः डीजीएफटी ने एक प्रणाली आरम्भ की, जिससे एक नमूना जाँच के माध्यम से उनकी सच्चाई स्थापित की जा सके।

हमने मालूम किया कि ग्यारह वर्ष बीतने के बावजूद, पीआईएडब्ल्यू मुम्बई को छोड़कर किसी भी आरएलए कार्यालय में गठित नहीं किया गया था। मुम्बई में भी, जहाँ पीआईएडब्ल्यू काम कर रहा है, 1 अप्रैल 2007 और 30 सितम्बर 2010 के दौरान जारी की गई 11,249 लाइसेंसों में से विभाग ने प्राधिकार आवेदन में घोषणाओं की सच्चाई की यादृच्छिक जाँच के लिए 475 लाइसेंसों (4.2 प्रतिशत) का चयन किया। विभिन्न प्राधिकरणों को संदर्भ भेजते हुए उनसे सत्यापन और 30 दिनों के भीतर दस्तावेजों के पुष्टीकरण का अनुरोध करके सत्यापन किया जाता है। 475 मामलों में से 50 प्रतिशत से अधिक मामलों (248) में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

आरएलए मुम्बई ने उत्तर दिया (मई 2011) कि 'जवाब नहीं मिला' (एनआरआर) मामलों को सम्बन्धित प्राधिकरणों से जवाब न मिलने तक निपटाया नहीं जाता।

आरएलए हैदराबाद ने उत्तर दिया कि कर्मचारियों की कमी के कारण, पीआईएडब्ल्यू जाँच कठिन हो जाती है। इसलिए, 100 प्रतिशत जाँच नहीं हो सकती है। ऐसी जाँच की आवश्यकता केवल उन्हीं मामलों में होती है जहाँ प्रार्थी पर सन्देह हो जो विशेष तौर पर अपने स्वामित्व तथा साझेदारी फर्मों की अपनी विपरीत जाँच पर आया हो।

आरएलए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीजीएफटी जनवरी 2000 के निर्देश के अनुसार प्राधिकरण हेतु प्रार्थना पत्र के साथ जमा करवाए गए दस्तावेजों के सही हाने को सुनिश्चित करने के लिए जारी प्राधिकारों के पांच प्रतिशत की नमूना जाँच के उद्देश्य के लिए सभी आरएलएज को पीआईएडब्ल्यू बनाना आवश्यक है।

अपनी संवीक्षा के दौरान हमने आवेदकों द्वारा गलत घोषणाओं के उदाहरण पाये। हमने यह भी पाया कि आरएलए कार्यालयों में इन पहलुओं को सत्यापित करने के लिए कोई कार्यविधि मौजूद नहीं थी।

- विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 5.7 में अनुबद्ध है कि पूंजीगत माल की घरेलू उदगम के मामले में निर्यात भार एफओआर (जहाज पर) मूल्य पर बचाये गये काल्पनिक सीमाशुल्क के संदर्भ में गणना की जानी चाहिए। आरएलए अहमदाबाद में, आठ आवेदकों ने (13 लाइसेंस) केवल प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) को ध्यान में रखते हुए घरेलू पूर्तिकारों से प्राप्त पूंजीगत माल पर बचाये गये शुल्क की राशि की घोषणा की जबकि एफटीपी के पैरा 5.6 और 5.7 के अनुसार काल्पनिक सीमाशुल्क को भी शामिल करना अपेक्षित था। यह

आरएलए द्वारा सत्यापित नहीं किया गया और इसका परिणाम ₹ 19.31 करोड़ के निर्यात भार का कम निर्धारण हुआ। आरएलए ने आपत्ति स्वीकार की और बताया कि विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में सही दर लागू करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। तथापि, आरएलए ने आश्वासन दिया कि संबद्ध पार्टियों से ब्यौरे प्राप्त करने के बाद आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। आरएलए का उत्तर, कि एफटीपी में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, एफटीपी के पैरा 5.7 के प्रावधानों के विपरीत है।

- आरएलए लुधियाना में हमने तुलन-पत्रों/निर्यात अभिलेखों की संवीक्षा से पाया कि छः लाइसेंसधारी थे जिनके निर्यात, घोषित किये गये निर्यातों से बहुत अधिक थे क्योंकि उन्होंने अप्रत्यक्ष/माने गये निर्यातों को अपनी घोषणा में शामिल नहीं किया था। घोषणा में दिये गये निर्यात आंकड़ों के सत्यापन के लिए किसी प्रणाली के अभाव में, उक्त छः मामलों में औसत निर्यात भार ₹ 55.54 करोड़ तक कम निर्धारित किया गया।

इंगित किये जाने पर (फ़रवरी 2011), आरएलए लुधियाना ने उत्तर दिया चूँकि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत पूर्व निर्यातों के दस्तावेज़/कथन को सत्यापित करने के लिए विदेश व्यापार नीति में कोई अनुबन्ध/प्रक्रिया नहीं थी, अतः ऐसा नहीं किया गया।

- आरएलए एर्णाकुलम में एक मामले में पाया गया कि आवेदन की तारीख पर आवेदन के साथ प्रस्तुत आरसीएमसी अवैध था। आरएलए ने वैध आरसीएमसी, जो कि एक अनिवार्य दस्तावेज़ है को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। अन्य चार मामलों में कोची पतन से निर्यात का वास्तविक एफओबी मूल्य घोषित एफओबी मूल्य (फार्म एएनएफ5ए) से अधिक था। इन लाइसेंसों (मै. किटेक्स चिल्ड्रन्स वियर लिमिटेड) में से एक के प्रतिसत्यापन ने दर्शाया कि एएनएफ5ए में युनिट द्वारा दिया गया घोषित मूल्य का आंकड़ा वह था, जो बैंक वसूली प्रमाण-पत्र अर्थात् विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान का था, जो कि कोची पतन के माध्यम से वास्तविक निर्यातों से कम थे। बाकि मामलों में भिन्नता के कारण जेडीजीएफटी से मांगे गये हैं।
- आवेदन के एएनएफ5ए फार्म फॉरमेट में घोषणा के अनुसार आवेदक को पूर्व निर्यात, जहां विदेशी मुद्रा वसूली छः महीनों से अधिक के लिए लम्बित हो, के ब्यौरे घोषित करने हैं। ऐसी घोषणा सनदी लेखाकार से प्रमाण-पत्र द्वारा प्राधिकृत होनी चाहिए। आठ मामलों में हमने पाया (आरएलए कोलकाता में पांच, आरएलए लुधियाना में एक और आरएलए बेंगलूरु में दो) कि आवेदकों ने ईपीसीजी प्राधिकरण के लिए आवेदन देते हुए घोषित किया कि निर्धारित समयावधि से अधिक के लिए पूर्ववर्ती निर्यातों के लिए वसूली के लिए कोई राशि लम्बित नहीं थी, तथापि, आरबीआई द्वारा जारी गैर-वसूली वाले विदेशी मुद्रा के विवरण दर्शाते थे कि इन आवेदकों के आईईसी सदस्यों के प्रति ₹ 16.88 करोड़ की कुल निर्यात प्राप्तियां बिना वसूली के रह गये थे। दिनांक 29 अप्रैल 1998 के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवर्तन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया था कि विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली, 1993 के नियम 7(1)(एफ)

के अधीन किसी आवेदक को लाइसेंस से मना किया जा सकता है जो किसी भागीदारी फर्म में प्रबन्धन भागीदार हो या नियंत्रण हित वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो या था, जिसके प्रति कुछ समय के लिए, कोई कार्यवाही लम्बित हो। इसने निर्देश दिया कि फर्म जिसके प्रति कार्यवाही लम्बित हो, के निदेशकों और भागीदारों की एक सूची बनाई जानी चाहिए और लाइसेंस प्रदान/नवीनीकरण करने पर विचार करने के समय उसका संदर्भ लेना चाहिए।

हमने पाया कि प्रवर्तन दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यक्तियों की ऐसी संदर्भ सूचियाँ आरएलए द्वारा नहीं रखी जाती थी। यहां तक कि डीजीएफटी वेबसाइट पर उपलब्ध अस्वीकृत एन्टिटी सूची (डीईएल) में व्यक्ति निदेशकों/भागीदारों की पैन पहचान नहीं थी। इस प्रकार, तेरह वर्षों की अवधि में विभाग ने दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए किसी क्रियाविधि को नहीं अपनाया था। आवेदक फर्मों के निदेशकों आदि को उन फर्मों, जिन पर कार्यवाही लम्बित है, के निदेशकों के साथ लिंक करने के लिए, आकड़ों के अभाव में, हमारे लिए संभव नहीं था कि यह मालूम करते और सिद्ध करते कि क्या नमूना जांचित आवेदनों में ऐसे कुछ मामले थे।

- हमने जेडीजीएफटी एर्णाकुलम में एक आवेदन देखा, जिसमें एक आवेदक फर्म, मै. बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशनस लि. एर्णाकुलम के एक निदेशक का नाम मै. बीपीएल लि. पालाकाड, एक कंपनी जिसको 2006 से डीजीएफटी द्वारा अस्वीकृत एन्टिटी में डाला गया था, के निदेशक के नाम के समान ही था। आवेदक फर्म को पांच ईपीसीजी लाइसेंस जारी किये गये थे और ₹ 3.38 करोड़ का शुल्क लाभ का फायदा भी उठाया था। इस मामले में आरएलए के लिए पर्याप्त संकेत था कि वह पूछताछ करते कि क्या दोनों निदेशक एक ही व्यक्ति था और प्राधिकार को स्थगित/रद्द करता यदि ऐसी स्थिति थी। तथापि, किसी पश्च सत्यापन क्रियाविधि के अभाव में, कोई पूछ-ताछ नहीं की गई थी।

हमारे निष्कर्ष दर्शाते थे कि आवेदकों द्वारा गलत घोषणा वास्तविक जोखिम है और उसे रोकना आवश्यक है। चूंकि आरएलए को तीन दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करना है, अतः यह व्यवहार्य नहीं है कि हमारे द्वारा बताई गई अनियमिततायें उनके द्वारा उस अल्प समयावधि में खोजी जाये। तथापि डीजीएफटी ने 2000 में अनुदेश जारी किये थे कि गलत घोषणाओं को ढूँढ निकालने के लिए पीआईएडब्ल्यू विंग द्वारा पश्च सत्यापन के माध्यम से यह जोखिम कवर किया जाये। पश्च सत्यापन के अभाव में आवेदनों में गलत घोषणाओं के प्रति कोई निवारक क्रियाविधि नहीं थी जिसका परिणाम निर्यात दायित्वों का कम निर्धारण था।

**सिफारिश 1:** आरएलए द्वारा डीजीएफटी के पश्च जारी सत्यापन पर अनुदेशों की अधिकांशतः अवहेलना की गई है। डीजीएफटी को एक समयबद्ध सूची निर्धारित करनी चाहिए और इस नियंत्रण क्रियाविधि का कार्यान्वयन निगरानी करना चाहिए।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2011) कि प्रत्येक आरएलए के कार्यालयाध्यक्ष को निगरानी तन्त्र के लागू होने को सुनिश्चित करने तथा मासिक आधार पर डीजीएफटी को एक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं।



## अध्याय 3

### निर्यात बाध्यता का नियतन

ईपीसीजी योजना रियायती शुल्क दर पर पूँजीगत माल आयात के लिए लाइसेंसधारी को अनुमति देती है जिसे बाद में निर्यात बाध्यता को पूरा करना होता है। कुल निर्यात बाध्यता के दो भाग होते हैं - विशिष्ट और औसत, जिन्हें आठ वर्षों में पूरा किया जाना होता है। एक प्राधिकरण धारक पर लगाया गया विशिष्ट ईओ एफटीपी 2004-09 के अन्तर्गत छोड़े गए शुल्क के पाँच गुणा के बराबर था जिसे एफटीपी 2009-14 के अन्तर्गत आठ गुणा के बराबर संशोधित किया गया। औसत ईओ प्राधिकार धारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में किए गए समरूप और समान उत्पादों के निर्यातों का गणितीय औसत है। हमने औसत निर्यात बाध्यता और विशिष्ट निर्यात बाध्यता के नियतन की संवीक्षा की और हमने क्रमशः 143 और 26 मामलों में उनके नियतन में अनियमितताएं देखीं।

#### 3.1 औसत निर्यात बाध्यता का नियतन

दिसम्बर 2004 में डीजीएफटी ने सभी आरएलएज को स्पष्टीकरण जारी किया था कि औसत ईओ की गणना के लिए तीन पूर्व वर्षों में निर्यातों के कुल एफओबी मूल्य को निर्यात के वास्तविक वर्षों की संख्या द्वारा विभाजित करना था।

**3.1.1** हमारे 1814 लाइसेंस फाइलों के नमूना में 95 मामले ऐसे थे जहाँ लाइसेंसधारियों ने तीन वर्षों की पूर्व लाइसेंसिंग अवधि से कम के लिए निर्यात की घोषणा कर दी थी। हमने औसत ईओ की गणना की विधि की संवीक्षा की और पाया कि डीजीएफटी के अनुदेशों का 95 में से 94 मामलों में अनुसरण नहीं किया गया था। चूँकि आवेदकों ने इन मामलों में मात्र पिछले एक या दो वर्षों की निर्यात घोषणा की थी इसलिए औसत की गणना क्रमशः एक या दो द्वारा भाग करते हुए की जानी चाहिए। परन्तु औसत की गणना तीन द्वारा भाग करते हुए की गई थी। मात्र आरएलए एर्णाकुलम ने संवीक्षा किए गए नमूना में सही रूप से गणना की थी। गलत संगणना के परिणामस्वरूप ₹ 1,082.34 करोड़ तक औसत ईओ का कम नियतन हुआ जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 2- औसत निर्यात बाध्यता का कम नियतन			
राज्य	3 वर्षों से कम पूर्व निर्यात वाले आवेदनों की संख्या	गलत गणना के मामलों की संख्या जहाँ निर्यात की कम घोषणा पाई गई	कम नियत किया गया औसत ईओ (₹ करोड़ में)
तमिलनाडु	12	12	7.38
पंजाब	6	6	42.56
महाराष्ट्र	32	32	162.08
पश्चिम बंगाल	8	8	18.48
केरल	1	शून्य	शून्य
कर्नाटक	3	3	61.30
गुजरात	3	3	19.82

राज्य	3 वर्षों से कम पूर्व निर्यात वाले आवेदनों की संख्या	गलत गणना के मामलों की संख्या जहाँ निर्यात की कम घोषणा पाई गई	कम नियत किया गया औसत ईओ (₹ करोड़ में)
दिल्ली	15	15	730.53
एपी	15	15	40.19
जोड़	95	94	1082.34

- जेडीएफटी, कोलकाता ने बताए गए आठ मामलों में ₹ 18.48 करोड़ तक औसत ईओ के कम नियतन को स्वीकार किया (मार्च 2011) और सूचित किया कि सभी आठ लाइसेंसों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राथमिकता पर फिर से मँगाया जा रहा है।
- जेडीएफटी, लुधियाना ने बताए गए छः मामलों में से तीन को स्वीकार किया और उत्तर दिया (फरवरी 2011) कि औसत ईओ को पुनः नियत किया गया है। शेष तीन मामलों के लिए यह बताया गया कि औसत निर्यात बाध्यता को 1 जून 2010 को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता के अन्तर्गत गठित ओपन हाउस मीटिंग में लिए गए निर्णय के मद्देनजर सही रूप से नियत किया गया था। आगे यह बताया गया कि यह भी निर्णय लिया गया था कि एक पॉलिसी परिपत्र सभी क्षेत्रों में एक समान प्रेक्टिस के लिए जारी किया जाना था। परन्तु, इसके पश्चात् भी इसे जारी नहीं किया गया था।
- आरएलए, हैदराबाद ने बताया (मार्च 2011) कि जहाँ कहीं औसत निर्यात बाध्यता को गलत रूप से नियत किया गया था उन मामलों में लेखापरीक्षा की सूचना के अन्तर्गत सुधार किया जाएगा।
- आरएलए मुम्बई ने आठ मामलों में ईओ पुनः निर्धारित कर दिए हैं इसी प्रकार आरएलए पूणे ने आठ मामलों में ईओ को पुनः निर्धारित कर दिया है।

**सिफारिश 2:** डीजीएफटी को मामले की जाँच करनी चाहिए और औसत ईओ की गणना की सही विधि की दोहराना चाहिए जैसा कि लगभग सभी चयनित आरएलएज़ ने 2004 में सुस्पष्ट विधि के अलावा अन्य विधि को अपनाया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे लाइसेंसों की पहचान समयबद्ध तरीके से करी जाय और पुनः नियत औसत ईओ का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसका समन्वय और निगरानी डीजीएफटी द्वारा किया जाए।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2011) कि डीजीएफटी ने मामले को पहले ही चिन्हित कर दिया है तथा इस सम्बन्ध में ईओ की संगणना के लिए एक जैसा तरीका सुनिश्चित करने के लिए एक परिपत्र पुनः प्रचालित किया जा रहा है।

हमारे विचार में ईओ की संगणना के लिए एक जैसा तरीका अपनाने का परिपत्र जारी करना काफी नहीं है। आरएलएज़ को ऐसे मामलों की, जिनमें ईओ का निर्धारण गलत किया गया है, की पहचान करने के निर्देश जारी करें तथा उन मामलों में उपचारी कार्रवाई करें।

**3.1.2** हमने हमारे नमूना में शेष 1719 (1814-95) फाइलों की भी जाँच की और अन्य 49 आपत्तियाँ पाई गईं जिनमें आरएलएज़ द्वारा गलतियों और अपर्याप्त संवीक्षा के

परिणामस्वरूप ₹ 1,832.67 करोड़ तक औसत ईओ का कम नियतन हुआ। कुछ दृष्टांतों को आगे दिया गया है:

**3.1.2.1** आरएलए, मुम्बई में तीन लाइसेंस फाइलों, आरएलए, पुणे में 11 लाइसेंस फाइलों और आरएलए, अहमदाबाद में 10 लाइसेंस फाइलों में सीए प्रमाण पत्रों में गलत घोषित निर्यात मूल्यों के अपनाने के कारण गणना गलतियाँ हुई थी। इन गलतियों के परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 60.32 करोड़, ₹ 152.69 करोड़ और ₹ 1,462.44 करोड़ की राशि तक औसत निर्यात बाध्यता का कम नियतन हुआ। इसे बताए जाने पर अहमदाबाद, मुम्बई और पुणे आरएलए ने चूक को स्वीकार किया और संशोधन पत्रकों को जारी करते हुए गलतियों में सुधार किया।

**3.1.2.2** मै. यूफलेक्स लिमिटेड और मै. प्रोमेड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को आरएलए, दिल्ली द्वारा क्रमशः फरवरी 2009 और जुलाई 2009 में ईपीसीजी लाइसेंस जारी किए गए थे लेकिन औसत निर्यात बाध्यता गणना गलती के कारण ₹ 37.20 करोड़ तक कम नियत किया गया था। विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया और एक लाइसेंस (मै. प्रोमेड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) औसत ईओ में संशोधन किया और दूसरे मामले में कार्रवाई प्रारम्भ की।

**3.1.2.3** आरएलए, कोलकाता ने ₹ 405,19,000 करोड़ के बजाए ₹ 40,519 के औसत ईओ को नियत करते हुए जून 2008 में मै.मकनल्ली भारत इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को लाइसेंस जारी किया। यह गलती सीए के प्रमाणित निर्यात आँकड़ों में शब्द "हजार में" की उपेक्षा के कारण हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, औसत ईओ को ₹ 4.05 करोड़ तक कम नियत किया गया था। आरएलए से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2011)।

**3.1.2.4** आरएलए, पुणे में 14 लाइसेंस फाइलों में औसत निर्यात बाध्यता को उन वर्षों को हिसाब में लेते हुए नियत किया गया था जिसमें लाइसेंसी ने निर्यात नहीं किया था इसके बजाए पूर्व तीन वर्षों के निर्यातों को लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.31 करोड़ तक औसत निर्यात बाध्यता का कम नियतन हुआ। आरएलए पुणे ने इस मामले में ईओ के पुनः निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

**3.1.2.5** ₹ 7,500 करोड़ से अधिक के एफओबी निर्यात मूल्य वाले निर्यातको को प्रीमियर ट्रेडिंग हाऊसिस (पीटीएच) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विदेश व्यापार पॉलिसी 2004 -09 में यह प्रावधान है कि पीटीएच को अन्य सभी निर्यातकों के लिए लागू तीन वर्षों के बजाए पिछले पाँच वर्षों में निर्यात निष्पादन के गणितीय औसत आधार पर निर्यातों के औसत स्तर के नियत करने का विकल्प होगा।

हमने पाया कि पाँच वर्ष के औसत अभिलाभ को आरएलए, मुम्बई में तीन लाइसेंसधारियों और आरएलए, पुणे में पाँच लाइसेंसधारियों को प्रदान किया गया था जिनके पास पीटीएच की प्रास्थिति नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 61.32 करोड़ और ₹ 28.88 करोड़ तक की राशि का औसत निर्यात बाध्यता का गलत नियतन हुआ। सभी मामलों में आरएलए मुम्बई ने ईओ को पुनः निर्धारित कर दिया है तथा आरएलए पुणे ने दोनों मामलों में प्रत्येक के ईओ को पुनः निर्धारित कर दिया है।

### 3.2 विशिष्ट निर्यात बाध्यता का नियतन

हमने 26 अन्य मामले देखे जहाँ आरएलएज द्वारा गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 144.51 करोड़ तक विशिष्ट ईओ का कम नियतन हुआ। नीचे इन मामलों का दृष्टांत दिया गया है:

**3.2.1** मै. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को आरएलए, दिल्ली द्वारा 22 जुलाई 2008 को एक ईपीसीजी प्राधिकरण जारी किया गया। निर्यात बाध्यता को बचाए गए शुल्क के आठ गुणा के बजाए छः गुणा नियत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 76.47 करोड़ तक निर्यात बाध्यता का कम नियतन हुआ। विभाग ने ईओ के कम नियतन को स्वीकार किया और तदनुसार इसे बढ़ाया।

**3.2.2** एफटीपी 2009 -14 के प्रावधानों के अनुसार ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत तीन प्रतिशत की रियायती दर का भुगतान किया जा सकता है, जिसकी निर्माण बाध्यता आठ वर्षों में पूरा किए जाने वाले बचाए गए शुल्क के आठ गुणा के बराबर है। लघु उद्योग (एसएसआई) यूनिटों के मामले में, ईओ कम है, जो कि आयातित पूँजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के छः गुणा के बराबर है बशर्ते कि इस योजना के अन्तर्गत ऐसे आयातित पूँजीगत माल का सीआईएफ मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक नहीं हो और ऐसे आयातों के पश्चात् संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश एसएसआई सीमा से अधिक नहीं हो जाता हो।

हमने देखा कि आरएलए, पुणे में आठ एसएसआई लाइसेंस फाइलों में निर्यात बाध्यता को छः गुणा तक नियत न कर उसे बचाया गया शुल्क की राशि के तीन से पाँच गुणा तक किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.50 करोड़ के ईओ का कम नियतन हुआ। आरएलए, पुणे में अन्य पाँच लाइसेंस फाइलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लाइसेंसधारियों ने पूँजीगत माल के आयात के पश्चात् संयंत्र एवं मशीनरी पर एसएसआई के लिए कुल निवेश सीमा को बढ़ा दिया था। तथापि, निर्यात बाध्यता को आठ गुणा के बजाए बचाए गए शुल्क की राशि के छः गुणा पर नियत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.14 करोड़ के निर्यात बाध्यता का कम नियतन हुआ। इनमें से 13 मामलों में से आरएलए पुणे ने चार मामलों में ईओ को पुनः निर्धारित कर दिया है।

**3.2.3** ऐसी छूट के लिए अपात्र होने के बावजूद अन्य चार यूनिटों को आरएलए, अहमदाबाद में एसएसआई अभिलाभ (छः गुणा ईओ नियतन) दिया गया था जैसा कि आयातित किए जाने वाले प्रस्तावित पूँजीगत माल का सीआईएफ मूल्य ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत ₹ 50 लाख से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.24 करोड़ के ईओ का कम नियतन हुआ। आयातित किए जाने वाले प्रस्तावित पूँजीगत माल, संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश के सीआईएफ मूल्य जैसी एसएसआई पात्रता शर्तों को मान्य करने के लिए प्रणाली में कोई मॉड्यूल नहीं है। इसे बताए जाने पर, आरएलए, अहमदाबाद ने आपत्ति को स्वीकार किया और इन प्राधिकारों में गलती का सुधार किया।

**3.2.4** आरएलए, अहमदाबाद में हमने आठ ईपीसीजी लाइसेंस में देखा कि, जहाँ निर्यात बाध्यता (ईओ) को इस वजह से आठ गुणा के बजाए छः गुणा पर नियत किया गया था, कि पार्टियों ने दावा किया कि यह एक एसएसआई यूनिट थी और ईओ छः गुणा नियत किया जाए। हमने देखा कि ये यूनिटें वास्तव में एसएसआई यूनिट के वर्ग में

आने वाली नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.16 करोड़ के ईओ का कम नियतन हुआ। आरएलए ने आपत्ति को स्वीकार किया और इन मामलों में गलती में सुधार किया। जहाँ उल्लेख किया गया को छोड़कर, उत्तर अक्टूबर 2011 को प्रतीक्षित था।

निष्कर्ष में, हमने 1814 में से कुल 168 मामले (9.3 प्रतिशत) देखे जिनमें गणना में गलतियाँ थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,060 करोड़ तक निर्यात बाध्यता का कम नियतन हुआ। ऐसी गलतियाँ व्यावसायिकता दृष्टिकोण का अभाव दर्शाती हैं और निवारक कार्रवाई करते हुए इन्हें रोका जाना चाहिए।

**सिफारिश 3:** बहुत सी गलत गणनाओं के मद्देनजर यह सिफारिश की जाती है कि पीआईएडब्ल्यू द्वारा नमूना जाँच में ईओ की गणनाओं को भी कवर किया जाना चाहिए और डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीआईएडब्ल्यू नियत समय सीमा के अन्दर आरएलएज में परिचालन हो।

अपने उत्तर में डीजीएफटी ने बताया (अगस्त 2011) कि वार्षिक औसत निर्यात बाध्यता की संगणना का एक समान तरीका अपनाने के लिए आरएलएज को दिशानिर्देश देने के लिए परिपत्र जारी किया जा रहा है तथा, इसलिए, पश्च जारी लेखापरीक्षा विंग (पीआईएडब्ल्यू) की इस उद्देश्य के लिए नमूना जाँच की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। डीईए तथा सीएजी भी ईपीसीजी फाइलों की लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी बाहरी एजेंसी की जाँचे विभागीय आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र की सामान्य कार्यवाही को दोषमुक्त नहीं करती। पीआईएडब्ल्यू की नमूना जाँच संगणना शुद्धता को बढ़ाएगी तथा गलत एईओ और ईओ के साथ जारी किए जा रहे प्राधिकारों की जोखिम को कम करेगी। जारी प्राधिकार को जारी होने के बाद की जाँच के लिए उनका आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र हाने के कारण पीआईएडब्ल्यू को जारी प्राधिकारों की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

## अध्याय 4

# अपात्र आवेदकों और चूककर्ताओं को लाइसेंस जारी किए गए

हमने संवीक्षा किया कि क्या आरएलएज यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच कर रहे थे कि लाइसेंस चूककर्ताओं और योजना के लाभों के लिए अपात्र आवेदकों को जारी नहीं किए जाते हैं। निम्नलिखित दृष्टांतों में हमने पाया कि लाइसेंस प्रावधानों के उल्लंघन में जारी किए गए थे।

### 4.1 अपात्र आवेदकों को जारी किए गए लाइसेंस

हमारे सामने 26 लाइसेंस आए जिनकी उचित रूप से संवीक्षा नहीं की गई थी और तीन ऐसे लाइसेंसधारियों को जारी किए गए थे जो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं थे।

- विद्युत उत्पादन में लगी एक कम्पनी, मै. ओपीजी एनर्जी (प्रा.) लि., चेन्नई को पूंजीगत माल के आयात के लिए जेडीजीएफटी, चेन्नई द्वारा नवम्बर, 2003 और अगस्त, 2008 के बीच आठ लाइसेंस जारी किए गए थे जिसमें ₹ 6.02 करोड़ की शुल्क रियायत अन्तर्गस्त थी। मै. ओपीजी एनर्जी जिसने ईपीसीजी लाभ प्राप्त किया, पर निर्यात बाध्यता लगाने की बजाय ईओ पूरा करने की देयता 18 अन्य उद्योगों पर लगाई गई थी जो कम्पनी द्वारा उत्पादित और संप्रेषित विद्युत के उपभोक्ता थे। जारी किए गए ईपीसीजी लाइसेंस अनियमित थे क्योंकि लाइसेंसधारी द्वारा किसी माल के विनिर्माण और निर्यात के लिए विद्युत की आन्तरिक खपत नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार नीति में एक इकाई को ईपीसीजी लाइसेंस देने और अन्य इकाई द्वारा निर्यात बाध्यता के निर्वहन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- हमें ज्ञात हुआ कि दो इकाईयां, मै. सिम्पलैक्स कंक्रीट पाइल्स (इंडिया) लि. और मै. गैमोन इंडिया लिमिटेड जो भारत में विद्युत परियोजनाओं के लिए सिविल निर्माण सेवाएं उपलब्ध करा रही थीं, को माने गए निर्यात श्रेणी के अन्तर्गत ₹ 211.87 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के निर्माण उपस्करों के आयात के लिए आरएलए चेन्नई द्वारा 18 लाइसेंस जारी किए गए थे। ₹ 66.66 करोड़ की शुल्क रियायत अन्तर्गस्त थी। हमने देखा कि जारी किए गए लाइसेंस अनियमित थे क्योंकि एफटीपी के पैरा 8.1 के अनुसार 'माने गए निर्यात' के प्रावधान केवल माल की आपूर्ति के लिए न कि सेवा प्रदान करने के लिए लागू होते हैं। इस प्रकार, इकाईयां ईपीसीजी लाइसेंस प्रदान करने हेतु अपात्र थीं। हमने पुनः देखा कि डीजीएफटी मुख्यालय ने मुक्त विदेशी विनिमय उगाही (एफएफई) के अध्यक्षीन दोनों मामलों में संबंध प्रमाणित किया। तथापि, लाइसेंसों का मोचन यह जाँच किए बिना किया गया था कि क्या एफएफई उदग्रहण की उपलब्धि हुई थी।

## 4.2 उन लाइसेंसधारियों जिनके प्रति अस्वीकरण आदेश जारी किए गए थे को ईपीसीजी लाइसेंस जारी करना

विदेश व्यापार (विनिमय) नियमावली, 1993 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी अभिलिखित कारणों से लाइसेंस प्रदान करना अथवा नवीकरण करने से अस्वीकार कर सकता है जिसमें लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मांगे गए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफलता शामिल है। इस प्रावधान के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश को अस्वीकृति आदेश (आरओ) के रूप में परिभाषित किया गया है।

डीजीएफटी के प्रवर्तन डिविजन द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2003 जारी अस्वीकृत इकाई सूची के रखरखाव, के लिए दिशानिर्देश में व्यवस्था है कि इकाईयां जिन्हें निर्यात बाध्यता पूरी न करने के लिए अस्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं, को मांग नोटिस जारी किया जाना चाहिए और मांग का पालन नहीं होने पर अस्वीकृत इकाई सूची में रखा जाए। अस्वीकृत इकाई सूची किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी से कोई नया लाइसेंस प्राप्त करने से लाइसेंसधारी को वर्जित भी करती हैं। कपट/गलत घोषणा के मामले में और जाँच एजेंसी द्वारा प्रतिकूल निष्कर्षों के परिणामस्वरूप इकाईयों को इस सूची में भी रखा जा सकता है।

**4.2.1** हमने पाया कि आरएलए मुम्बई ने अस्वीकृति आदेश (आरओ) जो सितम्बर 2008 में जारी किया गया था के चालू रहने के दौरान मै. पायनीर एम्ब्रायड्रीज लि. को ₹ 6.53 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले चार ईपीसीजी लाइसेंस जारी किए गए थे और जुलाई 2011 तक वापिस नहीं लिए गए थे।

यह अभिनिश्चित करने के लिए हमने फाइलों की संवीक्षा की कि आरओ के बावजूद लाइसेंस किस प्रकार जारी किए गए थे। हमने पाया कि लाइसेंसधारी को पहले 2003 में ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था। चूंकि उसने इस लाइसेंस के संबंध में ब्लॉकवार निर्यात बाध्यता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया इसलिए आरएलए ने एक मांग नोटिस जारी किया (अक्टूबर 2007) जिसमें नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अंदर ईओ की पूर्ति का साक्ष्य देते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लाइसेंस को निर्देश दिया गया था।

चूंकि, लाइसेंसधारी मांग नोटिस के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा इसलिए आरएलए ने 10 सितम्बर 2008 को एक अस्वीकृति आदेश जारी किया। लाइसेंसधारी ने अस्वीकृति आदेश के उत्तर में कहा कि उसने वर्ष 2004-05 में ₹ 4.58 करोड़ का निर्यात किया था और 60 दिनों की अवधि के प्रास्थगन की अनुमति के लिए अनुरोध किया। यद्यपि, इस कथन के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे, आरएलए ने एक महीने की अवधि के लिए 18 सितम्बर 2008 को प्रास्थगन जारी किया क्योंकि लाइसेंसधारी ने कुछ निर्यातों को सूचित किया था। प्रास्थगन अवधि के समाप्त के बाद लाइसेंसधारी 18 अक्टूबर 2008 से अस्वीकृत एन्टिटी सूची में आया क्योंकि उसने ब्लॉकवार निर्यातों को दर्शाते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने की वचनबद्धता की पूर्ति नहीं की थी।

लाइसेंसधारी ने पुनः प्रास्थगन के लिए आवेदन किया और 9 जनवरी 2009 को एक महीने की अवधि के लिए आरएलए द्वारा की अनुमति दी गई। इसके बाद, लाइसेंसधारी ने नए ईपीसीजी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जो आरएलए द्वारा 16 जनवरी 2009 को प्रदान किया गया था। लाइसेंसधारी को तब 9 फरवरी 2009 से डीईएल को प्रतिवर्तित किया गया था क्योंकि वह ब्लॉकवार ईओ दर्शाते हुए दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण की निरंतर चूक करता रहा।

लाइसेंसधारी के वर्ष 2005 तक निर्यात विवरण प्रस्तुत करने के बाद आरएलए ने एक महीने के लिए 02 मार्च 2009 को अन्य प्रास्थगन दिया। इस प्रास्थगन अवधि के दौरान उसे अन्य तीन ईपीसीजी लाइसेंस दिए गए थे। उसके बाद, उसे पुनः समस्त ब्लॉकवार ईओ की पूर्ति के साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण न करने के लिए डीईएल हेतु प्रत्यावर्तित किया गया।

इस तरह से, लाइसेंसधारी को अस्वीकृति आदेश रहते जो किसी नए लाइसेंस को प्राप्त करने से उसे वर्जित करता था, प्रास्थगन आदेशों के रूप में चार ईपीसीजी लाइसेंस दिया गया था। विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 3		
प्रास्थगन की अवधि	प्रास्थगन अवधि के दौरान जारी किए गए ईपीसीजी लाइसेंसों की संख्या	प्रास्थगन अवधि के दौरान जारी किए गए ईपीसीजी लाइसेंसों का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)
09.01.2009 से 10.01.2009	1	5.35
02.03.2009 से 02.04.2009	3	1.19
जोड़	4	6.53

**4.2.2** हमने पाया कि अन्य 22 लाइसेंसधारी ऐसे थे जिन्हें अस्वीकृति आदेश जारी किए गए थे परन्तु प्रास्थगन आदेशों को जारी करके आरओ के चालू रहने के दौरान उन्हें 319 ईपीसीजी लाइसेंस जारी किए गए थे। इन 319 लाइसेंसों का सीआईएफ मूल्य ₹ 3,828.91 करोड़ था। इस ढंग से लाइसेंसों की अनुमति अत्यन्त गंभीर अनियमितता थी क्योंकि आरएलए ने प्रास्थगन आदेश जारी करने के लिए स्वविवेक से शक्तियां ग्रहण की थी जिसकी व्यवस्था नियमों में नहीं थी। इससे अस्वीकृति आदेशों के माध्यम से चूककर्ताओं पर किए गए नियंत्रण का उल्लंघन हुआ।

इसे बताए जाने पर आरएलए ने बताया कि अस्वीकृति आदेश के प्रास्थगन योग्य/यथार्थ मामलों में नए लाइसेंस जारी करने के प्रयोजन के लिए दिए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आरएलए को किसी प्रास्थगन की अनुमति देने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त, मै. पायनीर एम्ब्रायड्रीज को 'योग्य अथवा यथार्थ' मामले के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सितम्बर 2008 से अब तक (जुलाई 2011) चूककर्ता रहा था।

**4.2.3** हमने अहमदाबाद आरएलए में नमूना जाँच के दौरान उसी ढंग के प्रास्थगन आदेश के प्रयोग देखे। निर्यात बाध्यता की पूर्ति दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत न करने के लिए अक्टूबर 2007 में मै. राजरत्न मेटल इंडस्ट्रीज को एक अस्वीकृति आदेश जारी किया गया था और बाध्यता पूरी करने के बाद 16 मार्च 2011 को वापस ले लिया गया



था। लाइसेंसधारी को अप्रैल 2008 और अक्टूबर 2010 के बीच अर्थात् आरओ के चालू रहने के दौरान 23 ईपीसीजी लाइसेंस प्रदान किए गए थे।

ऊपर उद्धृत मुम्बई आरएलए के मामले की तरह 23 ईपीसीजी लाइसेंस प्रास्थगन आदेश जारी करके जारी किए गए थे। इन 23 लाइसेंसों का सीआईएफ मूल्य ₹ 100.73 करोड़ था। निम्न तालिका प्रास्थगन अवधि के दौरान जारी इन लाइसेंसों की संख्या दर्शाती है।

तालिका 4		
प्रास्थगन की अवधि	प्रास्थगन अवधि के दौरान जारी ईपीसीजी लाइसेंसों की संख्या	प्रास्थगन अवधि के दौरान जारी ईपीसीजी लाइसेंसों का सीआईएफ मूल्य (₹ लाख में)
1/4/08 से 30/4/08	1	22.90
8/5/08 से 7/8/08	7	8690.28
18/8/08 से 17/11/08	3	81.58
25/11/08 से 24/2/09	2	79.84
28/7/09 से 27/9/09	2	146.87
26/10/09 से 25/12/09	1	23.60
30/12/09 से 15/1/10	3	71.40
21/1/10 से 20/3/10	1	27.99
9/6/10 से 8/10/10	3	928.86
कुल लाइसेंस	23	10073.32

इन मामलों में हमने देखा कि स्थगन आदेशों के माध्यम 23 ईपीसीजी लाइसेंसों के अतिरिक्त लाइसेंसधारियों को 124 डीईपीबी लाइसेंस और 24 अग्रिम लाइसेंस जारी किए गए थे।

हमने चार अन्य लाइसेंसधारियों को देखा जिसके विरुद्ध अस्वीकृति आदेश जारी किए गए थे, लेकिन स्थगनों के माध्यम से उसी प्रकार 58 ईपीसीजी लाइसेंस जारी किए गए थे।

आरएलए अहमदाबाद ने जवाब दिया (मई 2011) कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्यातको पर दबाव बनाने के लिए अस्वीकृति आदेश जारी किए गए थे और उसी समय स्थगन परिपत्र जारी किए गए ताकि लाइसेंसधारी के आर्थिक क्रियाकलाप अन्यथा रुके न रह जाएं। जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक/राजस्व का उत्पादन/नियोजन के लिए कठोर/गम्भीर परिणाम हो सकता था। अतः स्थगन अवधि के दौरान दोषी फर्मों को नए लाइसेंस जारी किए गए। यह भी कहा गया कि कई मामलों, में लेमिस (एलईएमआईएस) (ईडीआई प्रणाली) ने निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए विदेश व्यापार नीति में यथा निहित 36 महीने की विस्तारित कुल निर्यात बाध्यता पर ध्यान दिए बिना 18 महीने की बाध्यता की अवधि पूरी होने पर लाइसेंसधारियों को डीईएल सूची लेखा में रख देता है।

इन दो आरएलए का जवाब कि स्थगन आदेश योग्य और यथार्थ मामले के लिए और आर्थिक क्रियाकलापों को बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं स्वीकार्य नहीं है। यदि राजस्व उत्पादन, रोजगार इत्यादि की दृष्टि से संबंधित आवश्यकता थी, तो उचित पाए गए तरीके से इस मामले को विनियमित करने के लिए नीति स्तर पर नियमों और

परिवर्तनों की समीक्षा करने के लिए डीजीएफटी/वाणिज्य मंत्रालय की सूचना में लाना चाहिए था। एफटीआर नियम में प्रावधान है कि आरएलए चूककर्ता को आरओ जारी कर सकता है और जब वह चूककर्ता नहीं रह जाता है तो इसे हटा लिया जाता है। आरओ ऐसे चुककर्ताओं को कोई अन्य लाइसेंस पाने से भी वंचित करता है। यह नियम आरएलए को कोई शक्ति का प्रयोग और स्थगन आदेश जारी कर अंतरिम राहत मंजूर करने का अधिकार नहीं देता है। एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जहां बहुत से लाइसेंसधारियों से जिनके संबंध में आरओ के विरुद्ध स्थगन जारी किए गए थे, आरएलए से नये लाइसेंसों के लिए मिल रहे थे और आरएलए स्थगनों के माध्यम से उसे मंजूर करा रहे थे, यद्यपि नियमों के अंतर्गत उन्हें ऐसा करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी।

लेमिस सॉफ्टवेयर संबंधी जवाब से यह इंगित होता है कि आरएलए को प्रणाली में सुसंगत परिवर्तनों को अद्यतन करने के लिए मामले को डीजीएफटी को सूचित करना चाहिए था।

**सिफारिश 4:** डीजीएफटी स्थगनों के मामले को रोकने के लिए अनुदेश जारी करें और किस आधार पर स्थगन आदेश जारी करने की शक्ति आरएलए को दी गई थी की जाँच की जाए। डीजीएफटी समीक्षा कर सकते हैं और डीईएल से उन लाइसेंसधारियों को हटा सकते हैं जिसे शामिल किया गया था क्योंकि सूचना को सॉफ्टवेयर में अद्यतन नहीं किया गया था। डीजीएफटी यह सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रण गठित करें कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लेमिस सिस्टम पर एफटीपी में परिवर्तनों को अद्यतन किया जाता है।

अपने उत्तर में डीजीएफटी ने कहा (अगस्त 2011) कि इओ पूरा करने में जब भी कोई चूक होती है, फर्मों को डीईएल में डाल दिया जाता है ताकि भविष्य में उन्हें लाइसेंस जारी न किए जायें। तथापि, निर्यात संवर्धन के हित में नियमित निर्यातक के मामले में इओ पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए जाने पर स्थगन दे दिया जाता है ताकि उसकी व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित न हों। स्थगन केवल कम अवधि के लिए दिया जाता है ताकि उनके मामलों में मोचन के लिए जोर डाला जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि ये स्थगन आदेश विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 17(3) के अनुसार न्याय तथा अन्य प्राधिकरणों को प्रदत्त शक्ति के तहत जारी किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि "प्रत्येक प्राधिकरण का कोई निर्णय करते या अपील पर सुनवाई करते समय अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते समय जैसा वह उचित समझे ऐसे आदेशों को अन्तरिम प्रवृत्ति का रूप देने तथा पर्याप्त कारण होने पर किसी निर्णय या आदेश के प्रचालन पर रोक लगाने की भी शक्ति होगी"। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना को सरकारी प्रेस को प्रकाशन के लिए भेजे जाने के साथ ही साथ ईडीआई प्रणाली पर भी डाल दिया जाता है।

डीजीएफटी का उत्तर सही नहीं है क्योंकि नीति अथवा सम्बद्ध नियमों में स्थगन आदेश जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा विभाग द्वारा उद्धृत प्रावधान लागू नहीं हैं कारण यह कि हमारे द्वारा वर्णित ये मामले न तो किसी कारण बताओ ज्ञापन का निर्णयन थे ओर न ही किसी पीडित पार्टी द्वारा की गई किसी अपील की सुनवाई थीं। अपनी इच्छा पर स्थगन आदेशों को जारी करना एक पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यह

किसी मानकों द्वारा नियमित नहीं है। लाइसेंसधारियों को डीईएल में डालना, बाहर निकालना, उन्हें फिर से डालना तथा इसी प्रकार करते रहना डीईएल को बिल्कुल असंगत बना देता है क्योंकि लाइसेंसधारी जानते हैं कि वे आरएलएज के पास जा सकते हैं तथा स्थगन पा सकते हैं। उत्तर से यह भी पता नहीं लगता कि क्या डीजीएफटी ने विलम्ब के कारण पहले डीईएल में गलती से शामिल किए गए लाइसेंसधारियों की समीक्षा कर ली थी तथा उन्हें उसमें से हटा दिया था और क्या लेमिस प्रणाली में एफटीपी में परिवर्तनों को अद्यतित किया जा रहा था ?

## अध्याय 5

# पूँजीगत मालों का आयात और प्रतिष्ठापन और निर्यात बाध्यता पूर्ति पर प्रगति रिपोर्ट

ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने के पश्चात, लाइसेंसधारी को निर्दिष्ट पोर्ट, जहां पूँजीगत मालों का आयात करना निर्धारित है पंजीकरण के लिए अनुरोध सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्राधिकार प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। सीमाशुल्क विभाग के साथ बैंड और बैंक गारंटी के निष्पादन के पश्चात लाइसेंस का पंजीकरण हो पाता है। हमने 588 लाइसेंसों की संवीक्षा की, जिसे आरएलएज द्वारा जारी करने के उसी स्टेशन पर स्थित पोर्टों पर पंजीकृत किया गया था, हमारी 1814 लाइसेंसों की नमूना जाँच में हमने पाया कि पंजीकरण की प्रक्रिया में कोई विलंब नहीं था।

पंजीकरण के पश्चात, लाइसेंसधारी पूँजीगत माल को आयात और प्रतिष्ठापन कर सकता है और उसे निर्यात उत्पादों के लिए उपयोग कर सकता है जिसे उनके ईओ के प्रति गिना जाएगा। आरएलए/सीमाशुल्क प्राधिकारियों को आयातों और प्रतिष्ठापन की निगरानी करने की आवश्यकता है।

### 5.1 आरएलएज द्वारा आयातों की निगरानी

एचबीपी के पैरा 2.12 के अनुसार पूँजीगत माल का आयात ईपीसीजी लाइसेंस जारी होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए जिसमें विफल होने पर लाइसेंस अमान्य हो जाता है।

हमने पाया कि आरएलएज के पास यह निगरानी करने की कोई प्रणाली नहीं है कि क्या सभी लाइसेंसधारियों के संबंध में आयात निर्धारित तीन वर्षों के भीतर पूरे किए जा रहे थे। हमारे नमूने थे 1814 लाइसेंस में से 572 लाइसेंस जिन्हें अप्रैल 2007 और मार्च 2008 के बीच जारी किया गया था। इन मामलों में, आयातों को पूरा कर लिया जाना चाहिए था क्योंकि तीन वर्षों से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी थी (मार्च 2011 तक)। हमने पाया कि 301 (53 प्रतिशत) लाइसेंसों के प्रति पूँजीगत मालों के आयात के ब्यौरे लाइसेंस फाइलों में उपलब्ध नहीं थे जैसा कि नीचे वर्णित है। आरएलएज ने आयात की पूर्ति की जाँच करने के लिए इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।

तालिका 5- आरएलएज द्वारा आयातों का निगरानी			
आरएलएज	अवधि	2007-08 की अवधि के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	पूँजीगत माल के आयात के ब्यौरे फाइल में उपलब्ध नहीं
कोलकाता	2007-9/2011	27	17
लुधियाना	वही	39	31
हैदराबाद	वही	41	40
इर्नाकुलम	वही	7	2
कोयम्बटूर	वही	70	13
चेन्नई	वही	55	3

आरएलएज	अवधि	2007-08 की अवधि के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	पूँजीगत माल के आयात के ब्योरे फाइल में उपलब्ध नहीं
बेंगलुरु	2007-9/2011	49	0
अहमदाबाद	वही	11	1
दिल्ली	वही	72	72
मदुरै	वही	20	11
मुम्बई और पुणे	वही	181	111
<b>जोड़</b>		<b>572</b>	<b>301</b>

इतना अधिक अपवाद दर्शाता है कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसकी निगरानी ध्यानपूर्वक करना आवश्यक है। आरएलए, हैदराबाद ने उत्तर दिया कि अभी तक, आनलाइन या अन्यथा, ईपीसीजी लाइसेंसधारक द्वारा पूँजीगत माल के आयात की पूर्णता तिथि से संबंधित पुष्टिकरण हेतु कोई प्रणाली नहीं है और यह सूचना सीमाशुल्क विभाग द्वारा भी संचारित नहीं की जाती है। इस प्रकार यह पहलू निगरानी में रूकावट डालता है जिसे इस प्रकार हाथ से किया जाता है। उत्तर से सीमा शुल्क विभाग के साथ समन्वय में कमी के दृष्टान्त उजागर होते थे। चूंकि, सभी आयात विवरण सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली पर होते हैं, एक डाटा अंतरापृष्ठ यह सुनिश्चित करेगा कि आरएलएज द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों के प्रति उपयुक्त आयात डाटा प्राप्त हो।

## 5.2 आरएलएज द्वारा संस्थापन प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतिकरण की निगरानी

एचबीपी के पैरा 5.3.1 में प्रावधान है कि प्राधिकारधारक आरएलए को संबंधित आधिकारिक केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी/स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर से पूँजीगत माल के संस्थापन का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। यह प्रमाणपत्र आयात के पूर्ण होने की तिथि से छः माह के अन्दर देना होता है।

संस्थापन प्रमाणपत्र (आईसी) की प्रस्तुती योजना में एक नियंत्रण तंत्र है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना के अन्तर्गत आयातित पूँजीगत माल का प्रयोग अभिप्रेत लाभभोगी द्वारा अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया गया है। राजस्व विभाग ने 2008 में बताया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र ईपीसीजी योजना में एक अन्तर्निहित सुरक्षा तंत्र है।

हमने पाया कि आरएलए ने आईसी की प्राप्ति की निगरानी करने की कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी। जाँच किए गए 1814 मामलों में से, 1542 (85 प्रतिशत) मामलों जिसमें ₹ 5,99,861.21 करोड़ मूल्य के सीआईएफ सम्मिलित थे, हमने पाया कि लाइसेंस फाइलों में आईसी उपलब्ध नहीं थे। हमने पाया कि अन्य 25 मामलों में, जहाँ आईसी प्रस्तुत की गई थी, प्रमाणपत्रों में कमियाँ थी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आयातित मशीनरी के संस्थापन की तिथि का उल्लेख नहीं था। विवरण आगे तालिकाबद्ध है:

तालिका 6- आरएलएज द्वारा संस्थापन प्रमाणपत्रों की प्रस्तुती की निगरानी					
आरएलए	अवधि	लेखापरीक्षा किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्थापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	उन आईसी की संख्या जिनमें संस्थापन की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया
कोलकाता	2007 से सितम्बर 2011	108	91	2376.94	7
लुधियाना	वही	136	117	1006.28	13
हैदराबाद	वही	147	146	565.74	शून्य
इर्नाकुलम	वही	23	8	168.07	शून्य
कोयम्बटूर	वही	193	190	2135.63	शून्य
चेन्नई	वही	135	78	1012.43	शून्य
बैंगलूरु	वही	134	50	119.14	शून्य
अहमदाबाद	वही	56	34	577.60	4
दिल्ली	वही	267	267	588990.12	शून्य।
मदुरै	वही	55	52	407.86	1
मुम्बई और पुणे	वही	560	509	2501.40	शून्य
<b>जोड़</b>		<b>1814</b>	<b>1542</b>	<b>599861.21</b>	<b>25</b>

इनमें से किसी भी मामले में आरएलएज ने कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी। आरएलए, पुणे ने स्वीकार किया कि लाइसेंस फाइलों में आईसी उपलब्ध नहीं थी और बताया कि राजस्व की सुरक्षा के लिए उपचारी उपाय किए जाएंगे। आरएलए, दिल्ली ने बताया कि लाइसेंसधारक आईसी प्रस्तुत कर रहे थे किन्तु उन्हें अत्यधिक कार्यभार के कारण फाइल में नहीं लगाया गया था। कोयम्बटूर, लुधियाना और हैदराबाद के आरएलएज ने उत्तर में बताया कि लाइसेंसधारक मोचन के समय संस्थापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं। उत्तर से यह पता चला कि छः माह के भीतर संस्थापन की निगरानी वास्तव में हटा दी गई थी और एक मूल नियंत्रण पूर्ण रूप से हल्का हो गया था। आरएलएज मदुरै तथा मुम्बई ने बताया कि आईसीज मांगी गई है तथा प्राधिकार धारकों ने प्रस्तुत कर दी गई हैं। आरएलए बैंगलूरु ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति स्वीकार कर ली तथा आवश्यक उपचारी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। आरएलए, एर्णाकुलम ने सूचना दी कि सात मामलों में आईसी मांगी जा चुकी है तथा एक अन्य मामले में लाइसेंसधारी ने अनुपयुक्त प्राधिकार को वापिस कर दिया था जिसे निरस्त किया जा चुका है। आरएलए, राजकोट ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार कर लिया।

### 5.3 सीमाशुल्क द्वारा पतों का यादृच्छिक सत्यापन

सीबीईसी ने मार्च 2010 में परिपत्र संख्या 5/2010 जारी किया, जिसमें आधिकारिक आयुक्त सीमाशुल्क को उनके पोर्ट पर पंजीकृत ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत प्राधिकार में दर्शाए गए पतों की सत्यता की जाँच के लिए जारी कुछ प्राधिकारों को यादृच्छिक रूप से जाँच करने के निर्देश दिए गए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह महत्वपूर्ण था क्योंकि योजना में पंजीगत माल का संस्थापन वांछित था।

हमने पाया कि सीमाशुल्क विभाग ने परिपत्र की तिथि के एक वर्ष बाद भी अर्थात् मार्च 2011 तक हैदराबाद को छोड़कर किसी भी स्थान पर पतों का सत्यापन प्रारंभ नहीं किया था।

हैदराबाद में, आधिकारिक पत्तों में अप्रैल 2010 और जनवरी 2011 के बीच पंजीकृत 218 मामलों में से 20 मामलों में सीमाशुल्क कमिश्नरियों ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों को पतों के सत्यापन के लिए पत्र भेजे थे। केवल दो मामलों के संबंध में लाइसेंसधारकों द्वारा उल्लिखित पते की पुष्टि की गई। अन्य 18 मामलों में सीमाशुल्क कमिश्नरी द्वारा सत्यापन रिपोर्टों की प्राप्ति नहीं हुई थी।

जबकि अधिकतर स्थानों पर कमिश्नरियों के उत्तर प्रतीक्षित थे, सहायक कमिश्नर, आईसीडी साबरमती ने बताया कि लाइसेंसों का सत्यापन वैधता अवधि के दौरान कर लिया जाएगा। सीमाशुल्क कमिश्नरी (ईपी) न्यू कस्टम हाऊस, मुंबई ने उत्तर दिया (जून 2011) कि पतों का सत्यापन अब शुरू कर दिया है तथा न्हा-शेवा कमीश्नरी ने मार्च 2011 से पतों का सत्यापन दर्ज करने के लिए रजिस्टर खोल लेने की सूचना दी।

हमारे निष्कर्ष दर्शाते थे कि लाइसेंसधारकों के पतों का सत्यापन अभी प्रारंभ किया जाना है और इसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

**सिफारिश 5:** चूंकि, लाइसेंसधारक के परिसर का प्रमाणीकरण एक महत्वपूर्ण जाँच है जिससे किसी भी समय यह सत्यापित करना संभव हो जाता है कि आयातित पूंजीगत माल को घोषित स्थान पर ही संस्थापित और प्रचालित किया गया, बोर्ड को क्रेडिट कार्ड कम्पनियों/बैंक इत्यादि द्वारा अपनाए गए लाइसेंस का पता लिखे उपयोगिता बिलों की प्रतियां समय-समय पर मंगवाने जैसे वैकल्पिक तरीके अपनाने के विषय पर गौर करना चाहिए।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2011) कि उत्पाद शुल्क प्राधिकारी प्राधिकरण धारक के परिसरों की जाँच करते हैं, इसलिए उपभोग बिलों को मंगाने जैसे विकल्प माध्यम निर्यातक की संव्यवहार लागत में वृद्धि करेंगे, अतः इसकी आवश्यकता नहीं है।

डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस धारक के परिसरों का सत्यापन महत्वपूर्ण जाँच है तथा निर्यातकों से समय-समय पर उपभोग बिल मंगवाने को वैकल्पिक सस्ते साधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

#### 5.4 संस्थापन की प्रत्यक्ष जाँच

चूंकि, हमने प्राधिकार धारकों द्वारा आईसी प्रस्तुत करने में अत्यधिक अननुपालन पाया, हमने 234 लाइसेंसों के थोड़े से नमूनों के संस्थापन की प्रत्यक्ष जाँच की। यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों की सहायता से किया गया था। दस आरएलए<sup>6</sup> में हमारे द्वारा

<sup>6</sup> अहमदाबाद, बेंगलूरु, चैन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, एर्णाकुलम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई तथा लुधियाना स्थित आरएलएज़

सत्यापित 234 संस्थापनों में से हमने पाया कि सात मामलों में मशीनों को संस्थापित नहीं किया गया था और अन्य सात मामलों में मशीनों को लाइसेंसों में उल्लिखित स्थानों की बजाय अन्य परिसरों पर संस्थापित किया गया था जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 7- संस्थापनों की प्रत्यक्ष जाँच				
आरएलएज	जाँच की गई संस्थापनों की संख्या	सही संस्थापनों की संख्या	अन्य परिसरों में संस्थापनों की संख्या	परिसरों में न पाए गए संस्थापनों की संख्या
चेन्नई	45	40	5	शून्य
कोलकाता	12	9	1	2
लुधियाना	33	30	0	3
दिल्ली	2	2	0	0
इर्नाकुलम	6	4	0	2
हैदराबाद	21	20	1	शून्य

अपवाद पांच आरएलए से संबंधित हैं। अन्य पांच आरएलए में सभी संस्थापन सही पाए गए थे। गलत संस्थापन/गैर संस्थापन के दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(i) मै. अपोलो ज़िपर इंडिया लि. ने ईपीसीजी प्राधिकार के अन्तर्गत कोलकाता (समुद्री) पत्तन से 04 दिसम्बर 2008 को ₹ 62.78 लाख के पूंजीगत माल का आयात किया जिसके लिए ₹ 18.14 लाख की राशि का शुल्क छोड़ दिया गया था। हमने 5 अप्रैल 2011 को लाइसेंसधारक द्वारा घोषित परिसर पर संस्थापन की प्रत्यक्ष जाँच की और पाया कि मशीनरी भंडार में पड़ी हुई थी और आयात की तिथि से 28 माह के बीत जाने के बाद भी संस्थापित नहीं की गई थी।

(ii) मै. जेएमसी गारमेन्ट्स लि. को पूंजीगत माल के आयात के लिए आरएलए, कोलकाता से एक ईपीसीजी प्राधिकार जारी किया गया। ₹ 88.77 लाख के मूल्य वाले आयात पूंजीगत माल का फरवरी 2010 तक आयात किया गया एवं ₹ 14.11 लाख की राशि का शुल्क छोड़ा था। ईपीसीजी प्राधिकार के अन्तर्गत 7 अप्रैल 2011 को पूंजीगत माल को लगाने के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान, हमने पाया कि एपीसी राय रोड, कोलकाता में फैक्ट्री के बजाय बार्हपुर, पश्चिम बंगाल में प्राधिकार धारक की दूसरी फैक्ट्री में पूंजीगत माल लगाया हुआ था। संस्थापन प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया।

हमारे निष्कर्षों से पता लगा कि वहां ईपीसीजी के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत माल के गैर-संस्थापन/गलत संस्थापन के जोखिम है तथा सीमा शुल्क विभाग एवं आरएलएज इस जोखिम से अनजान है और वस्तुतः निर्धारित नियंत्रण प्रणाली को गैर-परिचालित कर दिया गया है।

### 5.5 आयातित वाहनों का पंजीकरण

योजना में मेजबानी उद्योग द्वारा आयात का प्रावधान है। आयातों को पर्यटक वाहनों के रूप में पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता होती है। इन मामलों में पंजीकरण पूंजीगत माल के संस्थापन के समस्र था।



2008 में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत वाहनों के आयात के मामले में देखी गई अनेक अनियमितताओं को वाणिज्यिक मंत्रालय के ध्यान में ला चुका था। तत्पश्चात, मई 2008 में डीजीएफटी ने एक परिपत्र जारी किया जिसके द्वारा योजना के अन्तर्गत आयातित वाहनों की निकासी करते समय सीमा शुल्क प्राधिकरण को आगम-पत्रों को पृष्ठांकित करने की आवश्यकता थी ताकि उन्हें "पर्यटक वाहनों" के समझ में पंजीकृत किया जा सके। परिपत्र ने और आगे निर्देश दिया कि सभी पिछले मामलों में जहाँ मोचन 30 जून 2008 तक मोचन देय थी, ऐसे ईपीसीजी लाइसेंसधारी को 31 अगस्त 2008 तक पर्यटक वाहन के रूप में वाहन पंजीकृत कराने पड़ेगें। आरएलएज को अनुपालन को निगरानी करने और सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए। परिपत्र के अन्तर्गत दिशा निर्देशों को एफटीपी 2009-14 के पैरा 5.2 में शामिल भी कर लिया गया।

हमने पाया कि आरएलएज के पास पंजीकृत प्रमाण पत्रों की प्राप्ति को निगरानी करने का कोई तन्त्र नहीं था। आरएलएज पूर्ण, मुम्बई, हैदराबाद, चैन्नई, दिल्ली और कोयम्बटूर, जहाँ ईपीसीजी प्राधिकार मोटर वाहनों को आयात करने के लिए जारी किए गए थे, में हमारे द्वारा समीक्षा किए गए 101 मामलों में से हमने पाया कि 83 मामलों में अनिवार्य पंजीकृत प्रमाण पत्र पेश नहीं किए गए।

तालिका 8 - आयातित वाहनों के पंजीकरण				
आरएलए	वर्ष जिसमें प्राधिकार पत्र जारी किए गए	लेखापरीक्षा किए गए प्राधिकार पत्रों की संख्या	पेश किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों की संख्या	पंजीकरण जहां प्रमाण पत्र पेश नहीं किए गए, की संख्या
नई दिल्ली	2007-08	38	2	36
	2008-09			
	2009-10			
मुम्बई	2007-08	41	11	30
	2008-09			
	2009-10			
	2010-11			
पूर्ण	2007-08	10	2	8
	2008-09			
	2009-10			
	2010-11			
हैदराबाद	2008, 2009	2	0	2
चैन्नई	2007-08	9	2	7
	2008-09			
	2009-10			
कोयम्बटूर	2008-09	1	1	0
<b>योग</b>		<b>101</b>	<b>18</b>	<b>83</b>

तथापि, सम्बन्धित आरएलएज द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। मुम्बई में 11 मामलों तथा पूर्ण में दो मामलों को छोड़कर, सीमाशुल्क विभाग ने भी यथा-अधिदेशित आगम-पत्र को पृष्ठांकित नहीं किया। अतः मोटर वाहनों के रियायती शुल्क आयातों के अभिप्रेत उपयोग का पता लगाने के लिए प्रचलित नियन्त्रण को अमल में नहीं लाया जा रहा था

और हम अभिप्रेत उद्देश्य के लिए आयातित वाहनों के अन्त्य उपयोग पर आश्वासन एकत्रित करने में असमर्थ थे।

आरएलए, हैदराबाद ने सूचित किया कि फर्मों से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। आरएलए, पूणे ने प्राधिकारधारियों से पंजीकरण प्रमाण-पत्र मांगे हैं एवं आरएलए, मुम्बई ने बताया कि मोचन के समय पंजीकरण प्रमाण-पत्रों हेतु आग्रह किया जायेगा।

## 5.6 निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए प्रगति रिपोर्ट

एचबीपी का पैरा 5.9 निर्धारित करता है कि निर्यात बाध्यता के सम्पादन पर लाइसेंसधारी प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक संबंधित आरएलए को एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आरएलए ईओ के आनुपातिक सम्पादन के अधीन आंशिक ईओ सम्पादन प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

प्रावधान आरएलएज को प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से नियमित आधार पर निर्यात बाध्यता के सम्पादन को निगरानी करने योग्य बनाता है। हमने पाया कि आरएलएज ने प्रगति रिपोर्टों की प्राप्ति को निगरानी करने के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी। हमने 12 आरएलएज<sup>7</sup> पर अप्रैल 2004 से पूर्व जारी किए गए 743 प्राधिकारों की समीक्षा की। 743 में से 543 में जाँच किए गए अर्थात ₹ 3,085.69 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के 73 प्रतिशत मामलों में हमने पाया कि लाइसेंस फाइलों में प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी और दूसरे 87 मामलों में प्रगति रिपोर्ट विलम्ब से अर्थात 30 अप्रैल के बाद प्रस्तुत की गई। हमारे निष्कर्षों ने बताया कि आरएलएज ईओ सम्पादन की प्रगति की निगरानी नहीं कर रहे थे।

आरएलए मुम्बई ने उत्तर दिया (मई 2011) कि नये लाइसेंस के लिए प्रार्थना करते हुए प्रार्थी ने उसके ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के विवरण तथा ईओ को पूरा करने की प्रतिशतता दे दी थी। इसके अतिरिक्त, यदि उल्लंघन देखे गए तो प्राधिकार पत्र धारकों को ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान करने का निदेश दिया गया था तथा ऐसा करने में विफल रहने पर मामले न्यायधिकरण के पास ले जाए गए थे।

आरएलए, हैदराबाद ने बताया (मार्च 2011) कि प्रणाली में प्रावधान की अनुपस्थिति में प्रगति रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण की ठीक तिथि जानना सम्भव नहीं था। एर्णाकुलम आरएलए कार्यालय ने उत्तर दिया कि मास्टर रजिस्टर से ईपीसीजी प्राधिकारों की प्रगति रिपोर्टों की प्राप्ति का पता चल जाता था। हमने देखा कि जबकि रजिस्टर का रख रखाव किया जा रहा था, इसे ऐसी निगरानी पूरी करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा था। उत्तरों से पता चला कि आरएलए निगरानी प्रक्रिया में कमियों से परिचित था लेकिन समस्या को सुलझाने के लिए कोई पहल नहीं की गई थी। निगरानी प्रणाली को विकसित करने की स्पष्ट आवश्यकता है और बड़ी संख्या में जारी लाइसेंसों के लिए इसे स्वचालित साधन बनाया जाना चाहिए।

<sup>7</sup> अहमदाबाद, बेंगलूरु, चैन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, एर्णाकुलम, हैदराबाद, कोलकाता, लुधियाना, मदुरै, पूणे तथा मुम्बई स्थित आरएलएज

आरएलए लुधियाना ने बताया कि यद्यपि प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करने का प्रावधान है, इस आवश्यकता को पूरा न करने के प्रति निर्यातकों के विरुद्ध दण्डनीय कार्रवाई करने के लिए नीति/प्रक्रियाओं में कोई प्रावधान नहीं है और मोचन के समय लाइसेंसधारी पूरे विवरण प्रस्तुत करते हैं। आरएलए दिल्ली ने समझ उत्तर दिया और आगे बताया कि मोचन के समय ब्लॉक वार ईओ की जाँच की जाती है। उत्तरों ने बताया कि आठ वर्षों की अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी निगरानी को न करने और मोचन के स्तर की दिशा में सभी अपनी जिम्मेदारियों को स्थगित करने के प्रति आरएलए एकमत थे। इसके अतिरिक्त प्रावधानों के संबंध में उत्तर सही नहीं था क्योंकि एचबीपी (2009-14) के पैरा 5.17 में प्राधिकार के किसी शर्त को पूरा करने में असफलता के मामले में दण्डनीय कार्रवाई के लिए प्रावधान है।

हमारे मतानुसार प्रगति रिपोर्टों और संस्थापन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने का मुद्दा लाइसेंस धारियों द्वारा केवल अनुदेशों का अनुपालन न करने की अपेक्षा और अधिक महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष इंगित करते हैं कि लाइसेंसों के जारी करने के बाद तथा मोचन तक लाइसेंस धारियों की निगरानी में पूरी ढिलाई रहती है। दोनों आरएलए और सीमाशुल्क प्राधिकरणों ने वस्तुतः लाइसेंसों, उनके जारी करने के बाद, की किसी निगरानी की अपनी जिम्मेदारियों का निसार कर दिया है। उन्होंने किसी उपाय की शुरुवात नहीं की है, यद्यपि, विस्तृत रूप से स्वचलन और सीमाशुल्क के ईडीआई डाटा के प्रति आरएलए डाटा के संयोजन के माध्यम से निगरानी को पूरा किया जा सकता है।

**सिफारिश 6:** डीजीएफटी और सीबीईसी को पूंजीगत माल और प्रगति रिपोर्टों के संस्थापन को निगरानी करने के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करना चाहिए। इसमें स्वचालित समाधान को पहचानना एवं सीमाशुल्क का ईडीआई डाटा शामिल है। अनुपालन न करने के प्रति दायित्विक प्रावधान को भी लागू करना चाहिए।

अपने उत्तर में डीजीएफटी ने बताया (अगस्त 2011) कि पूंजीगत माल की स्थापन प्रतिष्ठापन की निगरानी उत्पादशुल्क प्राधिकारियों द्वारा तथा ईओ का पूरा होने की निगरानी डीजीएफटी द्वारा की जाती है जिसके पास एफटीपी के पैरा 5.9 के अनुसार निर्मित निगरानी तन्त्र है। यह भी बताया गया था कि डीजीएफटी में ईडीआई को स्वचालित बनाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

ईपीसीजी प्राधिकारों को जारी करने का प्राधिकारी होने के कारण डीजीएफटी स्थापन की निगरानी की सारी जिम्मेदारी उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों पर नहीं लाद सकता। उत्पाद शुल्क प्राधिकारी स्थापन की जाँच करते हैं परन्तु डीजीएफटी को इसका पता रखना तथा सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करते रहना चाहिए।

उत्तर में इस बात को कोई संकेत नहीं मिला कि क्या सीमाशुल्क की ईडीआई प्रणाली से कोई इन्ट्राफेस बनाया जा रहा था। इसमें अनुपालन के मामलों में दण्डात्मक प्रावधान बनाने के लिए हमारी सिफारिश पर भी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

## अध्याय 6

### ईपीसीजी प्राधिकारों के मोचन

एचबीपी खंड I के पैरा 5.13 के अनुसार ईपीसीजी प्राधिकार धारक निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ5बी (ईपीसीजी प्राधिकार के मोचन के लिए निर्यात विवरण) में एक आवेदन सम्बन्धित आरएलए को प्रस्तुत करेगा। एएनएफ5बी में की गई घोषणाओं से संतुष्ट होते हुए आरएलए प्राधिकार धारक को एक निर्यात बाध्यता निर्वहन प्रमाण-पत्र (ईओडीसी) को जारी कर लाइसेंस का मोचन करेगा और सीमाशुल्क प्राधिकारी जिनके साथ बैंक गारंटी/सहमति-पत्र का निष्पादन हुआ है, को एक प्रति भेजेगा।

हमने 461 लाइसेंस फाइलों जहाँ मोचन देय था क्योंकि निर्यात बाध्यता अवधि समाप्त हो चुकी थी और अन्य 431 लाइसेंस फाइलों जहाँ लाइसेंसों का मोचन किया गया था, की समीक्षा कर चयनित आरएलएज में मोचन प्रक्रिया की समीक्षा की।

#### 6.1 मोचन आवेदनों की प्राप्ति न होने में आरएलएज की निष्क्रियता

हमने इस प्रतिवेदन के पूर्ववर्ती खंडों में प्रतिष्ठापनों के निगरानी के अभाव और निर्यात बाध्यता इत्यादि की प्रगति पर टिप्पणी की है। कुछ आरएलएज ने हमें सूचित किया था कि सभी अपेक्षाओं के लिए मोचन के समय सावधानी बरती गई थी। तथापि, हमने पाया कि निगरानी का अभाव भी मोचन चरण में प्रतीत हुआ था। आरएलएज नियत तारीखों अर्थात् लाइसेंस जारी करने की तारीख से आठ वर्षों के समापन पर मोचन आवेदनों की प्राप्ति का पता नहीं लगा रहे थे। हमने 11 आरएलएज द्वारा मार्च 2003 से पूर्व जारी 461 ईपीसीजी प्राधिकारों की जाँच-पड़ताल की थी जिनकी ईओ पूर्ति की अवधि बीत गई थी और मोचन देय हो गया था। हमने पाया कि मोचन आवेदन मात्र 51 मामलों में फाइल पर उपलब्ध थे और 40 मामलों में ईओ अवधि आरएलएज द्वारा बढ़ायी गई थी।

मोचन आवेदन शेष 370 लाइसेंस फाइलों में उपलब्ध नहीं थे। आरएलएज ने 284 मामलों (461 नमूनों का 62 प्रतिशत) में कोई कार्रवाई नहीं की थी, 86 एससीएन जारी किए गए थे और 13 मामलों में सीमाशुल्क विभाग को सूचित किया गया था। सीमाशुल्क विभाग ने 87 मामलों में स्वतः ही कार्रवाई की पहल की थी। ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध है:

आरएलए	लेखापरीक्षित मोचन न किए गए लाइसेंसों की संख्या	ईओ (₹ करोड़ में)	बचत किए गए शुल्क (₹ करोड़ में)	लाइसेंसों की संख्या				
				ईओपी का विस्तार	मोचन आवेदन फाइल में नहीं	आरएलए द्वारा जारी एससीएन	आरएलए द्वारा सीमा शुल्क को सन्दर्भित	सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
एर्णाकुलम	23	62.03	15.30	5	18	4	13	14
चेन्नई	54	1227.34	101.72	10	44	10	0	19
कोयम्बटूर	75	825.29	31.37	12	63	4	0	38
मुदुरई	14	59.93	2.07	2	12	4	0	6

आरएलए	लेखापरीक्षित मोचन न किए गए लाइसेंसों की संख्या	ईओ (₹ करोड़ में)	बचत किए गए शुल्क (₹ करोड़ में)	लाइसेंसों की संख्या				सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
				ईओपी का विस्तार	मोचन आवेदन फाइल में नहीं	आरएलए द्वारा जारी एससीएन	आरएलए द्वारा सीमा शुल्क को सन्दर्भित	
लुधियाना	33	103.29	6.11	4	29	11	0	0
हैदराबाद	52	195.29	15.32	0	52	5	0	0
बेंगलुरु	60	538.67	8.58	0	41	7	0	9
मुम्बई	10	538.67	34.06	1	9	0	0	0
अहमदाबाद	34	280.92	27.04	0	32	14	0	0
कोलकाता	43	127.96	11.55	3	28	4	0	0
<b>जोड़</b>	<b>461</b>	<b>5055.67</b>	<b>315.91</b>	<b>40</b>	<b>370</b>	<b>86</b>	<b>13</b>	<b>87</b>

हमारे निष्कर्षों ने दर्शाया कि अधिकांश मामलों में यद्यपि मोचन आवेदन उपलब्ध नहीं थे फिर भी आरएलएज कोई कार्रवाई करने में विफल रहा।

आरएलए दिल्ली ने उत्तर दिया, कि मामलों को लाइसेंस वर्ष वार निगरानी किया जाता है और एससीएन 2002 के सभी लाइसेंसों में जारी किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया (मार्च 2011) कि ईओ की आठ वर्ष अवधि मार्च 2011 तक उपलब्ध है और फर्म के पास अन्य चार वर्षों तक विस्तार के लाभ की सुविधा है, ऐसे मामलों में एससीएन केवल जारी किए जायेंगे यदि फर्म विस्तार के लिए आवेदन नहीं देता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विस्तार, यदि कोई है, आठ वर्षों की ईओ अवधि की समाप्ति से पहले लाइसेंसधारी द्वारा माँगा जाना था। विस्तार अनुरोध की आशा में आरएलए द्वारा चार वर्षों के लिए प्रतीक्षा करना अपेक्षित नहीं था। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस की वर्ष वार निगरानी उपयुक्त नहीं थी क्योंकि ईओ अवधि लाइसेंस जारी करने के दिन से न कि लाइसेंस देने के वर्ष के अनुसार होती है।

आरएलएज हैदराबाद तथा राजकोट ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया। आरएलएज कोयम्बटूर, एर्णाकुलम, मदुरै तथा मुम्बई ने उपचारी कार्रवाई शुरू कर दी। आरएलए बेंगलुरु ने प्रभावी निगरानी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

## 6.2 मोचन आवेदनों की प्राप्ति एवं निपटान

हमने उन मामलों में आरएलएज द्वारा की गई कार्रवाई की जाँच की जहाँ लाइसेंसधारियों ने मोचन आवेदन प्रस्तुत किए थे।

एचबीपी खंड I के पैरा 5.13 में प्रावधान है कि क्षेत्रीय प्राधिकारी 30 दिनों के भीतर मोचन आवेदनों पर कार्रवाई करेगा। कमियाँ, यदि कोई है, एक ही बार बतायी जाएंगी। अंतिम निर्वहन प्रमाण-पत्र को जारी करना/अस्वीकरण प्रारम्भिक अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरे किए जाएंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोचन आवेदनों का निपटान 90 दिनों के भीतर हो तो आरएलएज को मोचन आवेदनों की प्राप्ति एवं निपटान का तारीख वार सही अभिलेख रखना चाहिए। हमने पाया कि अधिकांश आरएलएज ने मोचन आवेदनों की प्राप्ति एवं

निपटान का उचित अभिलेख नहीं रखा था। फलस्वरूप वे संवीक्षा की अवधि में प्राप्त मोचन आवेदनों और लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या के आंकड़े प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं थे।

मात्र आरएलएज एर्णाकुलम और अहमदाबाद आवेदनों के वर्ष वार ब्यौरे उपलब्ध कराने में समर्थ थे। यद्यपि वे आंकड़े प्रस्तुत करने में समर्थ थे फिर भी उनके द्वारा रखे गए मोचन आवेदन रजिस्ट्रों में मोचन आवेदन की प्राप्ति की तारीख नहीं थी। अतएव वे यह निगरानी करने की स्थिति में नहीं थे कि क्या निपटान निर्धारित 90 दिनों के भीतर हो रहा था।

चूँकि प्राप्ति एवं निपटान उचित रूप से नहीं रखे गए थे इसलिए यह जोखिम था कि ईओडीसी जारी करने में विलम्ब होगा। उचित केन्द्रियकृत अभिलेख के अभाव में हमने 431 मोचन की गई लाइसेंस फाइलों से ईओडीसी को जारी करने की समयबद्धता की संवीक्षा की थी।

### 6.3 मोचन आवेदनों को अंतिम रूप देने में विलम्ब

**6.3.1** हमने पाया कि विभिन्न आरएलएज में नमूना जाँच किए गए 431 मोचन किए गए लाइसेंसों में से 193 मामलों (44.7 प्रतिशत) में मोचन के लिए आवेदनों को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ था।

टीएन, कोलकाता, कर्नाटक, एपी, गुजरात, केरल और दिल्ली के आरएलएज के 62 मामलों में एक से अधिक वर्ष का विलम्ब था। इन मामलों में विलम्ब की गणना माँगे गए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तारीख से आरएलए द्वारा मोचन की तारीख तक की अवधि के लिए की गई थी। उसमें आरएलए कोलकाता के 10 मामले शामिल थे जिनमें नवम्बर 2006 और दिसम्बर 2010 के बीच प्रस्तुत मोचन के लिए आवेदनों का मार्च 2011 तक निपटान नहीं किया गया था चूँकि लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई घोषणाओं का सत्यापन लम्बित थी।

विलम्ब आरएलएज और लाइसेंसधारियों दोनों के कारण थे। उदाहरणार्थ, आरएलए दिल्ली ने एक से दो वर्षों के विलम्ब के बाद पाँच आवेदनों की प्रक्रिया की पहल की गई थी। आठ आवेदनों में त्रुटि ज्ञापन दो महीनों से तीन वर्षों के विलम्ब के बाद जारी किए गए थे। 18 आवेदनों में लाइसेंसधारियों ने त्रुटि ज्ञापन के उत्तर विलम्ब से दिया था।

आरएलए, अहमदाबाद ने यह बताते हुए उत्तर दिया कि लाइसेंसधारी एक बार में बतायी गई त्रुटियों के अनुपालन नहीं कर रहे हैं और स्टाफ की अनदेखी के कारण आवेदनों की प्रक्रिया विलम्बित होती है। स्टाफ की भारी कमी का भी उल्लेख किया गया था।

आरएल, एर्णाकुलम ने कहा कि विलम्ब आगे की गई जाँच की आवश्यकता के कारण हुआ था।

हमारी राय में उचित केन्द्रियकृत अभिलेख के अभाव से उचित निगरानी असम्भव हो जाती है और लम्बे समय से लम्बित मामलों को चिन्हित करने एवं कोई समीक्षा अथवा प्राथमिकता वाली कार्रवाई की पहल करने का कोई रास्ता नहीं है।

आरएलएज बेंगलूरु तथा हैदराबाद ने निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा आवश्यक उपचारी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

**6.3.2** ईओडीसी के मोचन एवं निर्गम में विलम्ब न केवल कार्यविधिक कमी है और उसमें काफी विवक्षा है। ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत ईपीसीजी प्राधिकारों के प्रति किए गए निर्यात जिनका मोचन नहीं किया गया है, उसी लाइसेंसधारी को जारी आगामी ईपीसीजी में औसत निर्यात बाध्यता के परिकलन के लिए नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि अधिकतम अवधि के लिए मोचन के बिना लाइसेंसधारियों के लाइसेंसों को बनाये रखने के लिए एक अन्तर्निर्मित प्रोत्साहन है क्योंकि इससे उस मामले में औसत ईओ के निम्नतर नियतन के माध्यम से उसे सहायता मिलेगी जिस मामले में वह भविष्य ईपीसीजी लाइसेंसों के लिए लागू करता है। हम उदाहरण के रूप में बता सकते हैं कि आरएलएज दिल्ली में हमने पाया कि 16 मामलों में हालाँकि निर्यात बाध्यता प्राधिकार के निर्गम के एक से तीन वर्षों के भीतर लाइसेंसधारी द्वारा पूरी की गई थी, मोचन के आवेदन आठ वर्षों के बाद ही भरे गए थे। हमने पूर्व पैराग्राफ में भी बताया है कि अधिकांश मामलों में लाइसेंसधारी आठ वर्षों अर्थात् निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए बाह्य सीमा, की समाप्ति पर मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

अतएवं यह अनिवार्य है कि उचित निगरानी प्रणाली मोचन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि मोचन में अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं हो रहा है, चालू की जानी चाहिए।

**सिफारिश 7:** यह सिफारिश की जाती है कि नियत तारीखों को मोचन आवेदनों की प्राप्ति की निगरानी की प्रक्रिया और उसके बाद ईओडीसी के निर्गम तक की प्रक्रिया को स्वचालित की जानी चाहिए।

डीजीएफटी ने सिफारिश को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के प्रति ईओडीसी को जारी करने के प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करने तथा निपटाने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के सम्बन्ध में, ईडीआई ने मामले को अवगत कर लिया है।

हमारे मतानुसार कम्प्यूटरों के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों को मोचन हेतु प्रार्थना पत्रों को अन्तिम रूप देने की निगरानी के लिए प्रभावी साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

### निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए निष्कर्षों का सार

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों को कई निर्धारित जाँच के माध्यम से आठ वर्ष की अवधि के दौरान निगरानी किया जाना है। हमने पाया कि लाइसेंस जारी करने के बाद क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी घोषणाओं का पश्च सत्यापन, पता का सत्यापन, प्रतिष्ठापन की निगरानी, निर्यात बाध्यता की प्राप्ति की प्रगति की निगरानी और ईओ अवधि के समापन पर मोचन आवेदनों की प्राप्ति की निगरानी जैसे मुख्य नियंत्रणों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। फलस्वरूप योजना की विभिन्न

आवश्यकताओं और शर्तों की अनुपालना की मात्रा बहुत कम थी। ईओ की सम्पूर्ण अवधि के दौरान उत्तरदायित्व का निराकरण स्वीकार्य प्रथा नहीं थी और उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। बड़ी संख्या में लाइसेंस और आठ वर्षों तक ईओ अवधि के चालू रहने की दृष्टि से मैन्युअल प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न पहलुओं की निगरानी व्यवहार्य नहीं थी। अतएव हम सिफारिश करते हैं कि स्वचालित निगरानी प्रणाली समयबद्ध रूप में महानिदेशक, विदेशी व्यापार द्वारा कार्यान्वित होनी चाहिए। इस प्रणाली में आयात एवं निर्यात डाटा को प्राप्त करने के लिए कंस्टम इलेक्ट्रानिक डॉटा इन्टरचेंज सिस्टम के साथ इन्टरफेस होना चाहिए जिसकी आवश्यकता कुछ महत्वपूर्ण नियंत्रणों का उपयोग करने के लिए पड़ेगी तथा बेहतर निगरानी तथा नियंत्रणों को लागू करने के लिए इसका प्रयोग प्रभावी रूप से करना चाहिए।

नई दिल्ली

दिनांक: 7 दिसम्बर 2011

संध्या

(संध्या शुक्ला)

प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 8 दिसम्बर 2011

विनोद राय

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक